

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण

संख्या 1570

देहरादून दिनांक 26-03-2021

अधिसूचना

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2021

भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक,
उद्देश्य, प्रारंभ तथा
पिस्तार

- 1 (क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2021 है।
 (ख) इन विनियमों का उद्देश्य प्राधिकरण के समान्य कामकाज और कारोबार के संचालन के सम्बन्ध में और साथ ही अधिनियम तथा नियमों के अनुसरण में आवेदन करने तथा उसके अनुपालन के लिए संप्रवर्तकों, अभिकर्ताओं, आबंटियों और शिकायतकर्ताओं के उपयोग हेतु प्रारूपों तथा अन्य आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करना है।
 (ग) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
 (घ) ये उत्तराखण्ड राज्य में प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी मामलों के सम्बन्ध में लागू होंगे।
- 2(1) (क) 'अधिनियम' से भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है,
 (ख) 'न्याय निर्णय' से अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्राधिकरण या न्याय निर्णय अधिकारी को प्रस्तुत शिकायत पर निर्णय के लिए पहुंचने की प्रक्रिया अभिप्रेत है,
 (ग) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 81 के अधीन प्रत्यायोजित और संबंधित मामलों पर वैयक्तिक अथवा पीठ के रूप में कार्य निष्पादित कर रहे अध्यक्ष और/या सदस्य सहित अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है,
 (घ) 'फर्श क्षेत्र' से किसी अपार्टमेंट का, बाह्य दीवारों द्वारा आवेदित क्षेत्र, सर्विस शाफ्टों के अधीन के क्षेत्र, अनन्य बालकोनी या बरामदे के क्षेत्रों और अनन्य खुले टेरेस क्षेत्र को छोड़कर वास्तविक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत अपार्टमेंट की आन्तरिक विभाजक दीवारों द्वारा आवेदित क्षेत्र आता है।

(ङ) 'अध्यक्ष' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें विशिष्ट प्रयोजन के लिए, किसी बैठक का अध्यक्ष जहाँ कोई अन्य सदस्य प्राधिकरण की किसी बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, सम्मिलित है।

(च) 'परामर्शी' से कोई व्यक्ति जो कि प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों के अधीन सम्पादित कार्य करने के लिए अपेक्षित किसी मामले पर प्राधिकरण को सहायता देने के लिए नियुक्त किया जाये।

(छ) 'आच्छादित क्षेत्र' से बुनियाद की सतह जिस पर भवन निर्मित किया गया है, को ऊपर रिथत आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है। आच्छादित क्षेत्र में निम्नलिखित संरचनाएं सम्मिलित नहीं होंगी—

(क) बगीचा, कुआ, कुरें से सम्बन्धित कोई संरचना, पौधशाला, वाटरपूल, गैर आच्छादित तरण ताल, बृक्ष के चारों ओर बना चबूतरा, बुनियाद, बैच, खुला प्लेटफार्म

(ख) नाली का पुल, कैचपिट, गली पिट, चैम्बर गटर इत्यादि,

(ग) बन्द करने वाली दीवार, प्रवेश द्वार, फर्श रहित पोर्च और घरामदा (पोर्टिको), चदवा (कैनापी), फिसल पट्टी (स्लाइड), गैर आच्छादित सीढ़ियां, अनाच्छादित रैम्प इत्यादि,

(घ) बौचमैन बूथ, पम्प हाउस, गार्डन सापट, विद्युत उपग्रह, जनरेटर कक्ष और विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी अन्य उपयोगी संरचनाएं,

(ज) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(झ) 'सदस्य' से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है,

(ञ) 'अधिकारी' अधिकारी से प्राधिकरण का अधिकारी अभिप्रेत है,

(ट) 'कार्यवाही' से अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अन्तर्गत उसके कृत्यों को निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सभी प्रकार की कार्यवाही अभिप्रेत और सम्मिलित है।

(छ) 'विनियम' विनियम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020 अभिप्रेत है,

(झ) 'नियम' नियम से उत्तराखण्ड भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2017 अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गये कोई अन्य नियम, जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है

(ঢ) 'সংবিধি' সে প্রাধিকরণ কর সচিব অভিপ্রেত হৈ,

(ड) 'अध्यक्ष' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें विशेष प्रयोजन के लिए, किसी बैठक का अध्यक्षजहाँ कोई अन्य सदस्य प्राधिकरण की किसी बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, सम्मिलित है।

(च) परामर्शी से कोई व्यक्ति जो कि प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों के अधीन सम्पादित कार्य करने के लिए अपेक्षित किसी मामले पर प्राधिकरण को सहायता देने के लिए नियुक्त किया जाये।

(छ) 'आच्छादित क्षेत्र' से बुनियाद की सतह जिस पर मवन निर्भित किया गया है, के ऊपर स्थित आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है। आच्छादित क्षेत्र में निम्नलिखित संरचनाएँ सम्मिलित नहीं होगी—

(क) बगीचा, कुआ, कुए से राम्बन्धित कोई संरचना, पौधशाला, बाटरपूल, गैर आच्छादित तरण ताल, घक्क के चारों ओर बना चबूतरा, बुनियाद, बैच, खुला प्लेटफार्म

(ख) नाली का पुल, कैचपिट, गली पिट, चैम्बरस्टर इत्यादि,

(ग) बन्द करने वाली दीवार, प्रवेश द्वार, फर्झ रहित पोर्च और बरामदा (पोर्टिको), चंदवा (कैनापी), फिसल पट्टी (रलाइड), गैर आच्छादित सीढ़ियाँ, अनाच्छादित ऐप्प इत्यादि,

(घ) वांछमैन बूथ, पम्प हाफ्कस, गार्डन साप्ट, विद्युत उपगृह, जनरेटर क्षय और विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी अन्य उपयोगी संरचनाएँ।

(ज) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(झ) सदस्य से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है।

(ञ) 'अधिकारी' अधिकारी से प्राधिकरण का अधिकारी अभिप्रेत है।

(ट) 'कार्यवाही' से अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अन्तर्गत उसके कृत्यों को निवहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सभी प्रकार की कार्यवाही अभिप्रेत और सम्मिलित है।

(ठ) विनियम विनियम से समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020 अभिप्रेत हैं।

(ड) नियम नियम से उत्तराखण्ड भू—सम्पदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2017 अथवा अधिनियमके अधीन बनाए गये कोई अन्य नियम, जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है।

(इ) 'सचिव' से प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है।

- (4) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (2) इसमें प्रयोग किए गये शब्द और पद जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं परन्तु अधिनियम या नियमों में परिभाषित किए गये हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम और नियमों में दिये गये हैं।
- (3) इन विनियमों में एक वचन में बहुवचन और उसके ठीक विपरीत बहुवचन में एक वचन भी सम्मिलित है।

अध्याय—दो

पंजीकरण, मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक, और विशिष्टियों का प्रदर्शन

अतिरिक्त स्थान जहाँ मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक और विशिष्टिया प्रदर्शित की जायेंगी। संदर्भ—धारा 11(3)(क)	3 (1) धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में वर्णित स्थलों के अतिरिक्त सप्रवर्तक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत रेखांक अभिन्यास रेखांक को विशिष्टियों सहित निम्नलिखित स्थानों पर प्रदर्शित करेगा, अर्थात्— (क) सम्प्रवर्तक के समस्त विपणन कार्यालयों में, (ख) सम्प्रवर्तक के समस्त अन्य कार्यालयों, जहाँ से किसी भूखण्ड, अपार्टमेन्ट या भवन, की बुकिंग या विक्रय किया जाता हो, (ग) सम्प्रवर्तक द्वारा प्राधिकृत सभी भू—सम्पदा, अभिकर्ताओं जिनके माध्यम से किसी भूखण्ड, अपार्टमेन्ट या भवन, जैसी भी स्थिति हो, की बुकिंग या विक्रय किया जा रहा हो। (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत रेखांक, अभिन्यास रेखांक को विशिष्टियों सहित सप्रवर्तक द्वारा परियोजना स्थल पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (3) उपनियम (1) के सन्दर्भ में प्रदर्शित किये जाने वाले सक्षम प्राधिकारी हारा अनुमोदित विशिष्टियों सहित ऐसे मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक का परिमाप न्यूनतम तीन फीट×दो फीट होगा।
पंजीकरण का प्रदर्शन	4 (1) सम्प्रवर्तक, प्राधिकरण में पंजीकृत भू—सम्पदा परियोजना की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की वैधता अवधि को प्रमुखता से और पठनीय रूप में प्रत्येक विज्ञापन, विज्ञापन सामग्री, विवरणिका और साथ ही साथ परियोजना कार्यालय, परियोजना स्थल तथा बुकिंग कार्यालयों पर प्रदर्शित करेगा। (2) भू—सम्पदा अभिकर्ता, अपनी पंजीकरण संख्या और उसकी वैधता अवधि को प्रमुखता से तथा पठनीय रूप में प्रत्येक विज्ञापन, विज्ञापन सामग्री और साथ ही अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

अध्याय—तीन

परियोजनाओं/अभिकर्ताओं का पंजीकरण तथा अन्य सम्बन्धित उपबन्ध

- | | |
|---|--|
| <p>आवेदन पत्र और हस्तान्तरण विलेख का प्रारूप
संदर्भ— धारा 4
(2)(छ)</p> <p>वास्तुविद्, अभियन्ता और चार्टेड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र का प्रारूप
संदर्भ— धारा 4(2)(ठ)(घ)</p> <p>सह/सयुक्त विकास अनुबन्ध के लिए प्रारूप</p> | <p>5 सम्प्रवर्तक इन विनियमों के साथ क्रमशः अनुलग्नक 1 और 2 के प्रारूपों में आवंटी के पक्ष में अधिनियम में यथा उल्लिखित आवेदन पत्र जारी करेगा और हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।</p> <p>6 परियोजना में प्रयोग करने के लिए अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भू-सम्पदा परियोजना के लिए पृथक रखे गये दैक खाते से धनराशि के आहरण हेतु और साथ ही परियोजना की त्रैमासिक अद्यतन प्रगति/स्थिति प्रस्तुत करने के लिए सम्प्रवर्तक इन विनियमों के साथ संलग्न क्रमशः अनुलग्नक 3, 4 एवं 5 के प्रारूपों में परियोजना के वास्तुविद्, अभियन्ता और चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैक और प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा। भू-सम्पदा परियोजना के प्रत्येक भवन/भाग के पूर्ण होने पर परियोजना के वास्तुविद् और अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र वहां संलग्न क्रमशः अनुलग्नक 6 और 7 के प्रारूपों में होगा।</p> <p>7 (1) जहां परियोजना की भूमि(यों)के स्वामी संप्रवर्तक नहीं हैं किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में हैं, जिसमें वैयक्तिक रूप से फर्म के निदेशकगण या सह भागीदार सम्मिलित हैं, वहां भूमि (यों) को परियोजना में विकसित करने के लिए सह अनुबन्ध/सयुक्त विकास अनुबन्ध या कोई अन्य अनुबन्ध, वाहं वह किसी नाम से ज्ञात हो, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक 8 के प्रारूप में होगा। ऐसा अनुबन्ध जहां भूमि स्थित है, वहां के स्थानीय उपनिवन्धक से रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। यह सम्प्रवर्तक की बाध्यता होगी कि वह अनुबन्ध को रजिस्ट्रीकृत कराये।
 (2) जिन मामलों में परियोजना की भूमि सम्प्रवर्तक(को) द्वारा भू स्वामी (मियों) से पट्टे पर जचिग्रहीत की गयी हो वहां पट्टा विलेख भूमि से सम्बन्धित स्थानीय उपनिवन्धक से रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। यह सम्प्रवर्तक की बाध्यता होगी कि वह पट्टा विलेख को रजिस्ट्रीकृत कराये। पट्टे की प्रथम अवधि की पूर्ण समयावधि के लिए पट्टा किराया और पूर्ण पट्टा प्रीमियम का मुगतान सम्प्रवर्तक द्वारा इकाईयों का क्रेताओं को और सामान्य क्षेत्र काआवटियों/क्रेताओं के संघ/संगम अथवा सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को अन्तरण करने से पूर्व किया जायेगा। यह सम्प्रवर्तक की बाध्यता होगी कि वह परियोजना का प्राधिकरण में पंजीकरण कराने से पूर्व पट्टेदाता से, इकाईयों का एवं भूमि के अनुपातिक अंश का क्रेताओं को और परियोजना भूमि के</p> |
|---|--|

विक्रय के लिए

क्रेताओं के सघ/समग्र को अन्तरण/उप पट्टा करने की सहमति और पट्टा के नवीकरण और साथ ही उप पट्टा की शर्त पट्टा दाता से प्राप्त करें।

- 8 सम्प्रवर्तक जहां परियोजना अवशिष्ट है, वह के स्थानीय उप

अनुबन्ध का रजिस्ट्रीकरण

बुकिंग आवेदन का प्रारूप और उसकी प्रक्रिया

निबन्धक से विक्रय के लिए अनुबन्ध का रजिस्ट्रीकरण कराएगा।

- 9 कोई व्यक्ति जो किसी भू-सम्पदा परियोजना में किसी प्लैट, भवन, भूखण्ड या इकाई को क्रय करने का इच्छा रखता हो, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलम्बनक 9 के प्रारूप, जिसे सम्प्रवर्तक द्वारा इस प्रयोजन के लिए मुद्रित किया हो, में सम्प्रवर्तक को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ टोकन घनराशि, जो क्रय की जाने वाली इकाई की मूल विक्रय मूल्य से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, भुगतान को जा सकेगी। प्रत्येक आवेदन के शीर्ष में क्रमांक संख्या अंकित होगी। बुकिंग आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्प्रवर्तक पसंदीदा स्थान, यदि कोई हो तो, सहित आवेदित इकाई की उपलब्धता की जांच करेगा और उसके पश्चात आवेदन पत्र के दूसरे भाग को दो प्रतियों में पूर्ण करेगा तथा आवेदित इकाई के विवरण सहित आवेदित इकाई के अनुमोदन अथवा अनुमोदन न होने को इंगेत करते हुए एक प्रति आवेदक को निर्मत करेगा।

आवेदन का प्रस्ताव, आवेदन पत्र और इकाई का आवंटन

10 सम्प्रवर्तक, विकसित/विक्रय की जाने वाली भू-सम्पदा परियोजना में किसी इकाई के क्रय करने का इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी परियोजना में ऐसे किसी इकाई की उपलब्धता की जांच करने के पश्चात इकाई क्रय करने का आशय रखने वाले व्यक्ति को, इकाई को विक्रय करने के लिए इकाई का विवरण और साथ ही कुल मूल्य दर्शाते हुए प्रस्ताव पत्र भेजेगा और इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलम्बनक 1 के प्रारूप पर दो प्रतियों में प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित कर, आवेदन पत्र प्रस्ताव को स्वीकार करनेऔर प्रस्तावित इकाई को क्रय करने के अपने इच्छाकी पुष्टि करने के अनुरोध सहित भेजेगा। यदि इच्छारखने वाला क्रेता प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वह आवंटन पत्र की दोनों प्रतियों में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति सम्प्रवर्तक को भेजेगा और दूसरी प्रति प्रस्ताव पत्र के साथ अपने पास अग्रिमेख हेतु रखेगा।

परियोजना के लिए पृथक बैंक खाता

- 11 (1) सम्प्रवर्तक परियोजना के पंजीकरण से पूर्व परियोजना के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोलेगा। परियोजना के लिए यही एकमात्र बैंक खाता होगा।

और यह परियोजना में सभी इकाईयों का कब्जा आवटियों/क्रेताओं को और साथ ही सामान्य क्षेत्रों का कब्जा आवटियों के सघ/संगम अथवा सङ्गम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को हस्तगत करने और परियोजना की सभी इकाईयों/सामान्य क्षेत्रों के विक्रय विलेख निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण होने तक बालू रखा जायेगा। वैक खाते सभी भूखण्डों/फ्लैट्स/इकाईयों का कब्जा हस्तगत करने और साथ ही विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने तक परियोजना निर्माण/विकास की सम्पूर्ण अवधि के दौरान परिवर्तित नहीं किया जायेगा। इस वैक खाते में परियोजना के लिए प्राप्त सभी धनराशियाँ, जिसमें परियोजना के लिए लिया गया ऋण, अंश धारकों का धन, निदेशकों/साझीदारों/सह सम्प्रवर्तकों से पूँजी चाहे धनराशि में हो या भूमि/परिसम्पत्ति के रूप में तथा आवटियों/क्रेताओं से प्राप्त धनराशि समिलित हैं परन्तु इन तक ही सीमित नहीं है, जमा की जायेगी।

(2) सम्प्रवर्तक, परियोजना के प्रारम्भ से समाप्त और सभी आवटियों/क्रेताओं को तथा आवटियों के सघ/संगम अथवा सङ्गम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को कब्जा हस्तगत करने और साथ ही विक्रय विलेखों के निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण करने तक परियोजना के लिए एकमात्र तथा पृथक खाता अनुरक्षित करेगा। इस वैक खाते में परियोजना के लिए प्राप्त सभी धनराशियाँ, चाहे वह आवटियों/क्रेताओं/निदेशकों/साझीदारों/सह सम्प्रवर्तकों, अंश धारियों की धनराशि वा ऋण इत्यादि और साथ ही आवटियों/क्रेताओं से प्राप्त 30 प्रतिशत भाग परन्तु इस तक सीमित नहीं, जिसे तत्पश्चात् सम्प्रवर्तक(को) के खाते में अन्तरित किया जा सकेगा, सहित सभी भुगतान समिलित होंगे।

12 घारा 4 (2)(ठ)(घ) की अनुपालना के प्रयोजनों के लिए सम्प्रवर्तक पृथक वैक खाता उत्तराखण्ड में तथा वह भी उस जिले में जहाँ परियोजना भूमि अवस्थित है, खोलेगा और अनुरक्षित करेगा।

परियोजना कीलागत
और अन्य विवरणों 13 (1) सम्प्रवर्तक भू-सम्पदा परियोजना के पंजीकरण तथा परियोजना पंजीकरण के विस्तारण हेतु आवेदन करते समय अधिनियम और नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अन्य

अभिलेखों सहित परियोजना लागत का संक्षेप में विवरण भी सलग्न करेगा। परियोजना लागत विवरण में निम्नलिखित प्रारूप में वर्तमान आधार पर भूमि और निर्माण/विकास लागत सम्मिलित होगी, जिसेचार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और अभियन्ता द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा और सम्प्रवर्तक अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया गया होगा।

परियोजना लागत विवरण:

1. परियोजना का नाम—
2. सम्प्रवर्तक का नाम—
3. भूमि विवरण—खसरा न० क्षेत्रफल वर्ग मीटर।
4. कुल परियोजना भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर।
5. कुल भूमि लागत रु०
6. परियोजना में सभी भवनों का कुल आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मीटर।
7. कुल परियोजना संचिमाण एवं विकास लागत
 - (क) परियोजना संचिमाण मूल्य रु०
 - (ख) विकास मूल्य रु०
 - (ग) कुल रु०
8. परियोजना की कुल लागत (६+७) रु०

(2) पंजीकरण और पंजीकरण के विस्तारण के लिए आवेदन करते समय सम्प्रवर्तक निम्नलिखित प्ररूप में परियोजना का विवरण सलग्न करेगा, जिसे परियोजना के वास्तुपिद द्वारा प्रमाणित तथा सम्प्रवर्तक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा—

परियोजना का संक्षिप्त विवरण:

परियोजना का नाम:

सम्प्रवर्तक का नाम:

अभिन्यास स्वीकृति का विवरण:

स्वीकृति संख्या:

स्वीकृति तारीख: वैधता अवधि:

द्वारा स्वीकृत:

(प्राधिकारी का नाम)

नक्शा स्वीकृति विवरण:

स्वीकृति संख्या:

स्वीकृति तारीख: वैधता अवधि:

द्वारा स्वीकृत

(प्राधिकारी का नाम)

अभिन्यास/नक्शा में उपान्तरण

(यदि कोई हो)

स्वीकृति संख्या: स्वीकृति तारीख: वैधता अवधि:

द्वारा स्वीकृतः
(प्राधिकारी का नाम)
अनुमोदित योजना के अनुसार इकाईयों की संख्या:

क्र० सं०	धेणी (भूखण्ड / दुकान / प्लैट /)	उपधेणी (प्रकार)	इकाईयों की संख्या
1	2	3	4

कुल इकाईया—

- (3) सम्प्रवर्तक परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के समय प्राधिकरण को परियोजना के आकलित नकदी प्रवाह और बहिर्भाव के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (4) सम्प्रवर्तक परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय या परियोजना में इकाईयों के विक्रय के विज्ञापन से पूर्व प्राधिकरण को पैम्पलेट प्रॉस्पेक्टस, विवरणिका या कोई अन्य विज्ञापन सामग्री की प्रतिया प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण की वैबसाइट पर भी उन्हें अपलोड करेगा।

सम्प्रवर्तक द्वारा शपथपत्र का प्रस्तुतीकरण संदर्भ धारा 4(2)	14	सम्प्रवर्तक या उसका प्राधिकृत हस्ताक्षरी किसी भू-सम्पदा परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (1)(स) के उपबन्धों के अनुसार नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पता और सम्प्रवर्तक/सम्प्रवर्तकों की फर्म में उसके द्वारा घारित पद स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा। शपथ पत्र में सम्प्रवर्तक फर्म के शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत करने सम्बन्धी निदेशक मण्डल की बैठक एवं प्रताव के दिनांक सहित विवरण भी दिया जायेगा।
परियोजना के समापन की तारीख की घोषणा संदर्भ 4(2)(1)(ग)	15	अधिनियम की धारा 4 (2) (1) (ग) के अधीन शपथपत्र द्वारा पूरित प्रपत्र ख में सम्प्रवर्तक द्वारा इग्निट की गयी परियोजना की समापन तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अभिन्यास/योजना की वैधता तिथि से आगे की नहीं होगी। चालू परियोजनाओं के मामले जिनके सम्बन्ध में पूर्ण होने का दावा किया जाय और जिनके सम्बन्ध में समापन प्रमाण पत्रप्राप्त नहीं किया गया है अथवा यदि समापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है किन्तु अभी तक उसकी सभी इकाईयां बुक या विक्रीत नहीं हुई हैं, के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
सम्प्रवर्तक द्वारा परियोजना का विवरण रेसा वैबसाइट	16	सम्प्रवर्तक, धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसार निम्नलिखित विवरण तैयार और अनुरक्षित करेगा तथा प्राधिकरण की वैबसाइट पर परियोजना के वैबपेज में अपलोड करेगा तथा उसके साथ ही इसे परियोजना स्थल तथा लगाये गये अभिकर्ताओं सहित

पर अपलोड किया
जाना
संदर्भ धारा 11(6)
और धारा 4(2)(३)

सभी अन्य बुकिंग स्थानों पर रखेग।

(क) मू—सम्पदा परियोजना के परियोजना अभियन्ता, वास्तुविद, चार्टड एकाउन्टेन्ट, ठेकेदार, परियोजना प्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का (उनके नाम, पते, रजिस्ट्रीकरण संख्या, फोन नम्बर तथा ई—मेल आईडी) और साथ ही केवल परियोजना के लिए खोले गये एवं सचालित पृथक बैंक खाता (खाते का नाम, शाखा का नाम और बैंक शाखा का पता तथा उसके फोन नम्बर सहित) का विवरण।

(ख) इस सम्बन्ध में चार्टड एकाउन्टेन्ट, वास्तुविद और अभियन्ता द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र सहित घटकवार विवरण के साथ परियोजना की त्रैमासिक वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट।

(ग) इकाई विवरण, उनकी कीमत, उनके विरुद्ध संग्रहीत धनराशि और परियोजना खाते में जमा की गयी धनराशि तथा इस खाते से आहरित की गयी धनराशि सहित सभी बुकिंग, आवंटनों, निष्पादित विक्रय के लिए अनुबन्ध और निष्पादित हस्तान्तरण विलेखोंकी आवंटियों/क्रेताओं के नामों, सम्पर्क नम्बरों और आवंटियों/क्रेताओं के ई—मेल पतों सहित त्रैमासिक अद्यतन सूची।

(घ) परियोजना के लेखों के विवरण का प्रमाण पत्र—सह—वापिक रिपोर्ट सहित अधिनियम की धारा 4 (2)(1) के तीसरे परन्तुक में यथा उल्लिखित, सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए चार्टड एकाउन्टेन्ट, जो सप्रवर्तक के उद्यम का साविधिक सम्परीक्षक है, से सम्यक रूप से प्रमाणित और हस्ताक्षरित यहा सलम्न अनुलग्नक 10 के प्रपत्र में परियोजना के लेखों के सम्परीक्षेत लेखे तथा ऑडिट रिपोर्ट।

स्पष्टीकरण 1 — पृथक बैंक खाते से धनराशि के आहरण के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत मू—सम्पदा परियोजना की प्रगति को सत्यापित करने वाला चार्टड एकाउन्टेन्ट उस चार्टड एकाउन्टेन्ट से भिन्न होगा जो सप्रवर्तक के उद्यम का साविधिक सम्परीक्षक है।

स्पष्टीकरण 2 — यदि साविधिक सम्परीक्षक द्वारा अनुलग्नक 10 के प्रपत्रमें जारी फार्म से पता चलता है कि परियोजना वास्तुविद, अभियन्ता या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किसी प्रमाण पत्र में झूठी अथवा गलत सूचना है और किसी विशिष्ट परियोजना के लिए संग्रहीत राशिया परियोजना के लिए उपयोग नहीं की गई है तथा आहरण परियोजना की पूर्णता के प्रतिशत के अनुपात के अनुलग्न नहीं है, तो प्राधिकरण अधिनियम और नियमों में यथा उल्लिखित दाण्डक कार्रवाई के अतिरिक्त मामले को वास्तुविद, इंजीनियर या चार्टड एकाउन्टेन्ट के उक्त पेशेवरों के सम्बन्धित

विनियामक निकाय को उनकी सदस्यता समाप्त करने सहित उनके विरुद्ध आवश्यक दाइंडक कार्रवाई के लिए भेजेगा।

(ङ)भूरवामी (मियो). संयुक्त विकास राहमामी (गियो) और आबटियो/क्रेताओं के साथ परियोजना भूमि(यो) से सम्बन्धित विवादों की त्रैमासिक अद्यतन सूची और विवादों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति भी।

आवेदन पत्रों की लिखित प्रतियों कोप्रस्तुत करना और अन्य अपेक्षाएं

- 17 (1) सम्प्रवर्तक तथा अभिकर्ता क्रमशः परियोजना या अभिकर्ता हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र और सभी अन्य अपेक्षित अभिलेखों की उनके इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के साथ हाड़ कौपी प्रस्तुत करेगे।
(2) सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ग) के अनुसार परियोजना के निबन्धन के लिए आवेदन के साथ परियोजना अथवा परियोजना के प्रत्येक वरण, जैसी भी स्थिति हो, के लिए समस्त अपेक्षित अनुमोदनों और प्रारम्भ प्रमाण पत्र की अभिप्राणित प्रतियों प्रस्तुत करेगे। यदि किसी मामले में परियोजना के लिए कुछ अनुमोदन, स्वीकृत रेखांक के सिवाय, पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के समय पर लम्बित हों तो सभी लम्बित अपेक्षित अनुमोदनों की सूची इस उद्देश्य हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदनों की प्रति के साथ शपथ पत्र सहित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा और जैसे ही लम्बित अनुमोदन प्राप्त हो जायें, उन्हे प्रस्तुत करेगा।
- 18 सम्प्रवर्तक धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन भू-सम्पदा परियोजना के सम्बन्ध में अपने बहुमत अधिकारों और दरित्वों के अन्तरण या समनुदेशन हेतु प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय ₹0 10000.00 ग्राव (रुपये दस हजार मात्र) का शुल्क जमा करेगा।
- 19 सम्प्रवर्तक विक्रय के लिए अनुबन्ध के निष्पादन के तत्काल पश्चात किसी व्यक्ति को आवेदित इकाई जिसके सम्बन्ध में विक्रय के लिए अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, को कब्जा सीपने के आश्वासन के सम्बन्ध में कुल मूल्य के विक्रम समुचित धनराशि का बीमा प्राप्त करेगा। ऐसा बीमा, आबंटी/क्रेता को इकाई के कब्जा सीपने और उसके पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने तक चालू रखा जाएगा तथा नवीनीकृत किया जाएगा।
- 20 (1) अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन धन वापसी व्याज, विलम्ब कब्जा व्याज का भुगतान, शास्ति तथा छातिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रभावी और समयान्तर्गत अनुपालन के लिए सम्प्रवर्तक कुल विक्रय मूल्य ने से

सम्प्रवर्तक द्वारा बहुमत अधिकारों और दरित्वों का अन्तरण

संदर्भ— धारा 15

कब्जा सीपने के लिए इकाई का बीमा

संदर्भ— धारा 16

सम्प्रवर्तक द्वारा अनुरक्षित निधि का अनुरक्षण तथा सम्पत्ति का विवरण

प्रस्तुत किया जाना

आबटिटी/आशयित क्रेताओं/क्रेताओं से प्राप्त धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि की एक अनुरक्षित निधि का अनुरक्षण करेगा। यह धनराशि अर्थात्—आबटिटों/क्रेताओं से साझेहीत धन के 30 प्रतिशत भाग का एक तिहाई हिस्सा। सम्प्रवर्तक द्वारा साझेहीत धनराशि के 30 प्रतिशत भाग में से पृथक् रखी जायेगी। यह निधि किसी अनुसूचित बैंक में ब्याज धारक बैंक खाते में जमा और अनुरक्षित की जायेगी तथा इस खाते से किसी धनराशि का प्राधिकरण की पूर्व अनुमति या प्राधिकरण और/अथवा न्याय निर्णयक अधिकारी और/या भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के विशेष रूप से उपरोक्त उद्देश्य के लिए निर्मित जारी आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त आहरण नहीं किया जाएगा।

यह निधि प्राधिकरण में गिरवी रहेगी। अनुरक्षित निधि को सभी इकाइयों का कब्जा सीपने के 5 वर्ष के अन्त तक या उक्त अपेक्षा के सम्बन्ध में प्राधिकरण तथा/या भू-सम्पदा न्याय निर्णयन अधिकारी और/या भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश(ओं) की अनिम अनुपालना जो भी बाद में हो, तक अनुरक्षित किया जायेगा।

परन्तु यह कि सामान्य सुविधाओं/क्षेत्र के साथ परियोजना के समापन पर और साथ ही, उनके विक्रय विलेखों के निष्पादन किये जाने सहित, क्रेताओं/आबटिटों को सभी इकाइयों को और सामान्य क्षेत्रों को आबटिटों के संगम/संघ या सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को सीपने पर सम्प्रवर्तक प्राधिकरण के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से समान धनराशि की बैंक गारण्टी जो उक्त अनुरक्षित निधि को प्रतिस्थापित करेगी, की व्यवस्था का विकल्प बुन सकेगा।

परन्तु यह और कि आरक्षित निधि का अनुरक्षण या बैंक गारण्टी किसी भी रूप में अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार धनराशि वापसी, ब्याज का मुग्तान, विलम्ब कब्जा अवधि हेतु ब्याज और क्षतिपूर्ति के साथ—साथ प्राधिकरण, न्याय निर्णयन अधिकारी और/या भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अनुपालना के सम्बन्ध में सम्प्रवर्तक की बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों को सीमित नहीं करेगी।

- (2) परियोजना के पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करते समय सम्प्रवर्तकों के भागीदारों/निदेशकों (संप्रवर्तक केकम्पनी, भागीदारी फर्म, सोसाईटी या अन्य फर्म होने के मामले में) सहित, संप्रवर्तक उत्तराखण्ड सरकार तथा उसके बाहर स्थित सभी सम्पत्तियों का विवरण (संप्रवर्तक फर्म/कम्पनी तथा उसके प्रत्येक भागीदार/निदेशक की जबल सम्पत्तियों और बैंक खातों सहित) उपलब्ध करायेगा।

आवटियों और
आवटियों के
संगम/सघ को
मंजूर रेखांक और
अन्य अभिलेखों का
सौपा जाना

संदर्भ— धारा 17

हस्तान्तरण विलेख
का निष्पादन

संदर्भ— धारा 17

शिकायतों का दर्ज
किया जाना

संदर्भ — धारा 31

- (3) सम्प्रवर्तक अपनी परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय कम्पनी/फर्म/सोसाइटी के मार्गीदारों/निदेशकों सहित अपने वैयक्तिक PAN कार्ड और आधार कार्ड की हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां उपलब्ध करायें।
- 21 सम्प्रवर्तक आवटी/क्रेता को इकाई का भौतिक कब्जा सौंपने के समय परियोजना के स्वीकृत रेखांक/अभिन्यास रेखांक के साथ-साथ विद्युत जल आपूर्ति, नाली योजना और इकाई के समस्त संरचनात्मक आरेखण सहित विस्तृत विशिष्टियों आवटिती/क्रेता को सौंपेगा। इसी प्रकार सम्प्रवर्तक, सामान्य क्षेत्रों, अवसरचना और सुविधाओं का भौतिक कब्जा आवटियों के संगम/सघ अथवा सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को सौंपते समय विस्तृत विशिष्टिया, विद्युत, जल आपूर्ति, नाली योजना सहित सम्पूर्ण परियोजना के स्वीकृत रेखांक/अभिन्यास रेखांक हस्तगत करेगा।
- 22 सम्प्रवर्तक इन विनियमों के अनुलम्बक 2 के रूप में प्रारूप में सलग्न प्रारूप में आवटी के पक्ष में इकाई का हस्तान्तरण और आवटियों के संगम/सघ अथवा सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं एवं संरचनाओं का हस्तान्तरण विलेख भौतिक कब्जा सौंपने के तुरन्त पश्चात निष्पादित करेगा, परन्तु यह भौतिक कब्जा देने के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।
- अध्याय—चार**
शिकायतें एवं सम्बन्धित मामले
- 23 (1) शिकायतकर्ता(गण) और प्रतिपक्षी(गण) जब शिकायत और उत्तर दाखिल करें और अन्य कथन तथा साक्ष्यप्रस्तुत करेतो वे अभिवचनों के और दाखिल किये जा रहे अभिवचनों, कथनों और साक्ष्यों की वास्तविकता और सत्यता के समर्थन में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।
- (2) इनके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत करने सहित शिकायतकर्ता और उत्तरदाता यथारिति अपनी शिकायत, उत्तर और साक्ष्य की लिखित प्रतियां भी शिकायतकर्ताओं तथा उत्तरदाताओं की संख्या से एक जटिक सख्ता में प्रस्तुत करेगा।
- (3) शिकायतकर्ता और उत्तरदाता अभिवचनों और साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रतियां उनके ग्रन्तीक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत करेगा जब तक कि वे सलग्नकों के रूप में शपथपत्र के साथ न दिये गये हो। शिकायत/उत्तर में वे अपने अथवा अधिकृत हस्ताक्षरी/च्यवितकी (यदि यह कोई फर्म या कम्पनी हो का) स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चिपकाएंगे।
- (4) यदि किसी शिकायत की जाच के दौरान ऐसा हो कि डाक द्वारा और/अथवा ई-मेल द्वारा उपरिक्षित होने और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस हस्तगत नहीं हुआ और यह

निश्चित किया जाय कि नोटिस को प्रत्यर्थी के पते के स्थान में व्यापक रूप से परिचालित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से तामील किया जाये तो ऐसा प्रकाशन, प्राधिकरण / न्याय निर्णयन अधिकारी के निदेश पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

- (5) प्राधिकरण सभी सुनवाई / कार्यवाहियों को सूचना प्रौद्योगिकी और / या वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम संचालित कर सकेगा और पत्रावलियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित करने का प्रबन्ध कर सकेगा।

अध्याय—पांच

प्राधिकरण का कार्यालय और कृत्य

- | | | | |
|---|---|---|--|
| प्राधिकरण का कार्यालय, कार्यालय अवधि और उसकी बैठकें | प्राधिकरण की भाषा अभिलेखों का अभिप्राप्ति | प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा परामर्शियों इत्यादि की नियुक्ति | <p>24 (1) प्राधिकरण का कार्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।
 (2) प्राधिकरण अपनी कार्यवाहियों कार्य दिवसों में अपने कार्यालय में या अपनी अधिकारिता के किसी अन्य स्थान और समय पर जैसा नियत किया जाय या अपेक्षित हो, संचालित कर सकेगा।</p> <p>25 प्राधिकरण की कार्यवाहिया हिन्दी या अंग्रेजी में संचालित की जायेगी।</p> <p>26 कोई अभिलेखजिसका प्राधिकरण से अधिप्रमाणन अपेक्षित हो, प्राधिकरण की मुद्रा के (सील) अधीन जारी किया जायेगा तथा सचिव अथवा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।</p> <p>27 (क) राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन प्राधिकरण को विभिन्न कार्यों के निवेदन के लिए सचिव, अधिकारियों और / या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। ऐसे सचिव / अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की योग्यताएँ, अनुमति और शर्तें तथा निवन्धन और नियुक्तियाएँ से विनियमों के अध्यधीन होंगी जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाय। जब तक प्राधिकरण द्वारा इस मामले में विनियम अधिसूचित नहीं कर दिये जाते तब तक इन पदों पर नियुक्तियां सरकार के निदेशों के अनुसार की जायेगी।
 (ख) प्राधिकरण अपने कृत्यों के निवेदन के लिए प्राधिकरण की सहायता हेतु परामर्शी, अभियन्ता, वास्तुविद, वकील और / या चार्टेड एकाउन्टेन्ट नियुक्त या सहबद्ध कर सकेगा।
 (ग) प्राधिकरण का यदि यह मत है कि सम्बवतंक या तो परियोजना लेखा उपलब्ध नहीं करा रहा है या उपलब्ध कराया गया लेखा अशूद्ध या अपूर्ण प्रतीत होता है तो प्राधिकरण परियोजना के लेखाओं के अन्वेषण और जांच के लिए किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट को नियुक्त या सहबद्ध कर सकेगा। इस हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट की सहबद्धता पर आने वाला खर्च सम्बवतंक द्वारा अपनी स्वयं की निधि से बहन किया जाएगा होगा और</p> |
|---|---|---|--|



प्राधिकरण सम्बवत्तक को यह आदेश या निर्देश दे सकेगा कि वह घनराशि को प्राधिकरण में जमा करे या प्राधिकरण धारा 40(1) तथा नियम 23 के अधीन उसकी वसूली कर सकेगा।

(क) सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हांगा और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन करेगा।

(ख) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सचिव से ऐसी सहायता ले सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(ग) विशेषकर इस विनियम के उप विनियम (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा, अर्थात्—

(एक) उसकी अभिरक्षा में प्राधिकरण के अभिलेख और मुद्रा (सील) रहेगी।

(दो) वह प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों जिनमें अन्य के साथ—साथ शिकायतें, आवेदन या संदर्भ सम्मिलित होंगे, को प्राप्त करेगा।

(तीन) वह दस्तावेजों जिसमें अन्य के साथ शिकायतें, आवेदन या संदर्भ सम्मिलित हैं, की समिरीदा करेगा और उसे उन पर स्पष्टीकरण ममानेअथवा उनमें सुधार कराने का तथा ऐसे दस्तावेजों की स्वीकारोक्ति या उन्हें खारिज करने के सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

(चार) वह प्राधिकरण के समझ योजित गामलहो में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभियंचनों के सार और संक्षेप तैयार करेगा या करायेगा।

(पांच) वह अधिनियम या नियमों के अधीन ऐसे कार्यों को करेगा जो कि उसे प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित किया जायें।

(छ) वह प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताव्य शक्तियों से सम्बन्धित कार्रवाईयों में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

(सात) वह बैठक के लिए नोटिस उपलब्ध करायेगा, बैठक के लिए एजेन्डा और प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त तैयार करेगा।

(आठ) वह, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अभिप्राप्ति करेगा।

(नौ) वह जहाँ तक सम्भव हो, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन का अनुब्रवण करेगा और उनकी किसी गैर अनुपालना को प्राधिकरण के सज्जान में लाएगा।

(दस) उसे, सरकार या अन्य कार्यालयों कम्पनियों और फर्मों या किसी अन्य पक्ष से, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाय, ऐसी सूचना और दस्तावेज, रिपोर्ट,

अभिलेख इत्यादि, जैसा कि अधिनियम और नियमों के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के प्रयोजनों हेतु आवश्यक समझा जाय, प्राप्त करने और उन्हें प्राधिकरण के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

(ग्यारह) वह प्राधिकरण के निर्णय पर अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित विभिन्न प्रगाण पत्र जारी करेगा। वह प्राधिकरण की ओर से पत्रों को भी जारी करेगा।

(बारह) वह प्राधिकरण के निर्णयों के अनुसार कलेक्टरों को वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा और साथ ही धारा 80 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को शिकायतों योजित करेगा।

स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य और/या प्राधिकरण का न्याय निर्णयन अधिकारी समिलित है।

- 29 सचिव की अनुपस्थिति में इस सदमें में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सचिव के कृत्यों का निर्वहन करेगा।
- 30 प्राधिकरण को सभी समयों पर या तो किसी हित बदल या प्रभावित पक्षकार के आवेदन पर या इसमें प्राधिकरण के सचिव या किसी अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश या की गयी कार्रवाई को यदि वह उचित समझेतो पुनरीक्षित, प्रत्याहरित, परिवर्धित, उपान्तरित, संशोधित, परिवर्तित या अन्यथा बदलनेकी शक्ति होगी।
- 31 सचिव प्राधिकरण के अनुमोदन से, इन विनियमों द्वारा या अन्यथा अपेक्षित सचिव द्वारा किये जाने वाले किसी कृत्य को प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 32 (1) किसी शिकायत के पक्षकारों या भू-सम्पदा परियोजना/अभिकर्ता के पक्षकरण के लिए आवेदक सहित कोई व्यक्ति किसी अभिलेख के किसी दस्तावेज के निरीक्षण अथवा प्रति के लिए यहां सलम्न अनुलग्नक 11 के प्रपत्र में आवेदन कर सकेगा। आवेदन के साथ ऐसी घनराशि, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय, के शुल्क का भुगतान किया जाएगा। आवेदन में ऐसे दस्तावेज, जिसकी प्रति चाही गई है और अभिलेख जिनसे सम्बन्धित वह दस्तावेज है, का विवरण दिया जाएगा।
(2) यहां उप विनियम (4) के अध्यधीन प्राधिकरण के अभिलेख शुल्क का भुगतान करने और प्राधिकरण के यथानिर्देशित निर्बन्धनों की अनुपालना करने पर सभी के लिए निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।
(3) शुल्क का भुगतान करने और प्राधिकरण द्वारा यथानिर्देशित निर्बन्धनों की अनुपालना करने के अध्यधीन प्राधिकरण, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसा प्राधिकरण उचित समझे, पर प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों और कागजातों की अभिप्रमाणित प्रतियां आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को जो

निरीक्षण और
अभिलेखों की प्रतियां

प्रपत्र 11 में आवेदन करे उपलब्ध करायेगा। प्राधिकरण अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की आपूर्ति के लिए प्राप्त निवेदनों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु एक अधिकारी को पदाभिषित करेगा जो अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 10(दस) कार्यदिवसों की अवधि के भीतर अनुरोध किये गये अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां प्रेषित करने का यत्न करेगा। तत्काल आधार पर प्रतिया प्राप्त करने के लिए शीघ्रता को दर्शाने के लिए आवेदन के दाहिनी ओर सबसे ऊपर तत्काल शब्द लिखा जाना होगा और ऐसे मामलों में सत्यापित प्रतिया तीन कार्यदिवसों की अवधि के भीतर जारी की जायेगी। तत्काल आवेदन के लिए शुल्क सामान्य आवेदनों के शुल्क का दुगना होगा।

(4) प्राधिकरण, आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि प्राधिकरण में अनुरक्षित कोई सूचना, अभिलेख और कागजात/सामग्री गोपनीय या विशेषाधिकारित है जीर कनिरीक्षण या सत्यापित प्रतिया आपूर्ति करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, और प्राधिकरण यह भी निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख, कागजात या सामग्री, प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत के अतिरिक्त, किसी रीति में उपयोगनहीं की जाएगी।

(5) प्राधिकरण, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए लगाये जाने वाले शुल्क और अभिलेखों आदेशों, नियंत्रण इत्यादि की प्रतिया प्राप्त करने के लिए शुल्क नियत करेगा, परन्तु यह कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं उस विधि के उपबन्धों के अधीन शासित होगी,

परन्तु यह और कि अभिलेखों की प्रतिया, जो स्वयं में प्रति या उसी प्रकार की हो, नहीं दी जायेगी।

(6) किसी व्यक्ति को न तो अपने साथ कोई ऐन अथवा स्थाही लाने की या प्रयोग करने की अनुमति होगी और न ही उसे किसी अभिलेख या कागजात पर निशान लगाने या निरीक्षण किये जा रहे किसी अभिलेख या कागजात की किसी प्रकार से काट-छाट करने की अनुमति होगी।

(7) प्रति की प्रतिया चाहे वह फोटोप्रति, कम्यूटर प्रिंट, ई-मेल प्रिन्ट इत्यादि हो, जारी नहीं की जायेगी और केवल मूल अभिलेखों की प्रतिया ही जारी की जायेगी।

33 सरकार, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण और/या माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और साथ ही प्राधिकरण के अधिकारी को कार्यालय प्रयोजन हेतु किसी अभिलेख के दस्तावेज की प्रतियां निशुल्क प्रदान की जायेगी।

सूचना के लिए

34 कोई व्यक्ति या कोई पक्षकार जो किसी शिकायत की सख्त्य और वर्ष या भू-सम्पदा परियोजना परीकरण की आवेदन सख्त्य

या भू-सम्पद अभिकर्ता पंजीकरण की आवेदन संख्या तथा शिकायत में पक्षकारों के नाम या भू-सम्पदा परियोजना/अभिकर्ता के पंजीकरण के लिए आवेदक(को) के नाम जानने का इच्छुक हो वह इस सम्बन्ध में आवेदन देगा। आवेदन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। कथित सूचना बाहने के लिए आवेदन देने वाले उस व्यक्ति से ₹0 50 का शुल्क लिया जाएगा।

- 35 (1) अधिरोपित किसी शास्ति या किसी निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि शुल्क से प्राप्त दैनिक नकद धनराशि, को दैनिक आधार पर एक पंजिका में उसकी बायीं और प्रत्येक मासले के विवरण सहित अभिलिखित और अनुरक्षित किया जायेगा। इस प्रकार दैनिक रूप से प्राप्त धनराशि विलम्बतम अगले कार्यादिवस तक प्राधिकरण के खाते में जमा की जायेगी, जिसकी प्रविष्टि पंजिका के दाहिनी ओर अभिलिखित/अनुरक्षित की जायेगी।
- (2) प्राधिकरण में एक पंजिका भी अनुरक्षित की जाएगी जिसमें प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी के शास्ति अधिरोपित करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश अथवा किसी व्यक्ति को धन जमा करने के सम्बन्ध में निर्देश को उसके संक्षिप्त विवरण सहित अभिलिखित/अनुरक्षित किया जाएगा। शास्ति धनराशि या धन की प्राप्ति पर एक सम्बन्धित प्रविष्टि भी उक्त प्रविष्टियों के सापेक्ष अभिलिखित/अनुरक्षित की जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना देने तथा धनराशियों की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई नियमित आधार पर की जाएगी।
- 36 प्राधिकरण के कर्मचारी प्राधिकरण के अभिलेख अपने घर नहीं ले जाएंगे और अपना कार्य प्राधिकरण के कार्यालय में समाप्त करेंगे

अध्याय-४:
प्राधिकरण की बैठकें

बैठकों की संख्या और प्रकार	37 अधिनियम के अधीन उपन काया के निवहन के प्रयजन के लिए प्राधिकरण यथा अपेक्षित संख्या में और स्थानों पर बैठके आयोजित करा सकेगा। प्राधिकरण निम्न प्रकार की बैठकें संचालित कर सकेगा, अर्थात् –
	(क) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार कारोबार सम्बन्धी और संचालित की जाने वाली कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य बैठकें, और
) ऐसे मामलों जिन पर अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की राय में तत्काल विचार करना आवश्यक हो, से सम्बन्धित विशेष बैठकें।
बैठकों का समय और स्थान	38 (1) प्राधिकरण की बैठकें सामान्यतः उसके प्रधान कार्यालय में आयोजित की जायेगी। प्राधिकरण अपनी अधिकारिता क्षेत्र में किसी अन्य स्थान, जब उभी प्राधिकरण की राय में ऐसा करना समीचीन हो, पर भी बैठकें आयोजित कर सकेगा।
	(2) अध्यक्ष, सदस्यों से परामर्श करके अग्रिम रूप में प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान तथा एजेण्डा नियत करेगा।
	(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक का नोटिस ऐसे आशयित बैठक का समय, तारीख और स्थान सूचित करते हुए अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
	(4) किसी बैठक का नोटिस एजेण्डे के साथ बैठक की तारीख से न्यूनतम 7 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य और किसी अन्य व्यक्ति जिसकी बैठक में उपस्थिति अपेक्षित हो, को प्रेषित किया जायेगा, परन्तु यह कि प्राधिकरण की किन्हीं कार्यवाहियों को केवल इस कारण से चुनौती नहीं दी जाएगी कि किसी सदस्य को बैठक का नोटिस अप्राप्त हो या बैठक के लिए नोटिस अत्य समय का है,
	(5) ऊपर उप विनियम (4) के अतिरिक्त बैठक के लिए नोटिस सदस्यों को और यथा अपेक्षित किसी अन्य व्यक्ति को ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भी संसूचित किया जायेगा।
	(6) सम्प्रवर्तक या आवंटी या भू-सम्पदा अभिकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी शिकायत से सम्बन्धित सुनवाई की बैठक हेतु नोटिस शिकायतकर्ता और प्रतिपक्षी, जैसी भी स्थिति हो, को ढाक, ई-मेल, फैक्स या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से संसूचित किया जाएगा तथा तारीख, समय, स्थान, मद संख्या और ऐसे अन्य

विवरण के साथ कोज लिस्ट सहित प्राधिकरण की बैब
साइट में भी अपलोड किया जाएगा जिससे रामी सम्बन्धित
को आसान और तरितसरूचनासुनिश्चित हो सके।

- (7) पंजीकरण प्रत्याहरण या पंजीकरण के विस्तारण,जैसी भी
स्थिति हो, सम्बन्धी सप्रवर्तक या अभिकर्ता से सम्बन्धित
सुनवाई के लिए बैठक का नोटिस सप्रवर्तक या अभिकर्ता
को डाक ई-मेल, फैक्स या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम से उसमें तारीख, समय, स्थान और ऐसे अन्य
अपेक्षित विवरण दृग्गित करते हुए संसृचित किया जायेगा।

बैठकों का एजेण्डा

- 39 (1) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्राधिकरण
की प्रत्येक बैठक के लिए एजेण्डों को तैयार करने और उसे
विनियम 38 के उप विनियम (4) और (5) के अनुसार ऐसे
बैठक के समय और स्थान को विहित करते हुए नोटिस के
साथ प्रत्येक बैठक की तारीख से न्यूनतम 7 दिवस पूर्व
प्राधिकरण के सभी सदस्यों के मध्य प्रसारित करने के लिए
उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी
अध्यक्ष तथा सदस्यों के प्रसारण से बैठक का एजेण्डा तैयार
करेगा,

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ऐसा
अधिकारी अध्यक्ष/सदस्यों के प्रसारण से इसके जारी होने
के क्रम के एजेण्डे में सशोधन या निरसन कर सकेगा या
नये मदों को जोड़ सकेगा।

परन्तु यह और भी कि प्राधिकरण की कर्मवाही को किसी
सदस्य द्वारा केवल इस कारणवश चुनौती नहीं दी जा
जाएगी कि इस उप विनियम में उपवर्णित के अधीन बैठक
का एजेण्डाप्राप्त नहीं हुआ है।

- (2) प्राधिकरण की किसी बैठक में यथास्थिति अध्यक्ष या बैठक
की अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य सदस्य की अनुमति के
रिवाय कोई भी कारोबार जो एजेण्डा में सम्मिलित नहीं हो
व्यवहारित नहीं किया जाएगा।

बैठकों की प्रक्रिया

- 40 (1) सामान्य बैठकों के लिए प्रक्रिया—
(क) जब तक किसी विशेष मामले में अध्यक्ष द्वारा उसे
विस्तारित करने का निषय न लिया जाए, किसी साधारण
बैठक का समय सामान्यतः प्राधिकरण के कार्यालय समय
के भीतर ही होगा।
(ख) किसी सामान्य बैठक में अध्यक्ष और सदस्य तथा ऐसे
कर्मवाही, अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अनुमति
दी जाए, प्रतिभाग करेंगे।
(ग) अध्यक्ष लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए
बैठक को रथगित कर सकेंगे।
(घ) कोई सदस्य जो किसी कारण से किसी बैठक में उपस्थित

होने में असमर्थ हो, यदि सम्बव हो तो कथित बैठक में वीडिओ कॉन्फ्रेनेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का विकल्प चुन सकेंगा और ऐसी बैठक के दौरान मत दिये जाने के प्रयोजन के लिए यह उस सदस्य द्वारा उपस्थिति समझी जायेगी।

(द) प्राधिकरण यथा सम्बव अपने आदेशों की अनुपालना के पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक माह में एक सामान्य बैठक आयोजित करेगा और सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी गैर अनुपालन वाले मामलों की व्यथास्थिति सूचना अथवा प्राधिकरण के अधेतर निर्देशों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।

(घ) प्राधिकरण की प्रत्येक सामान्य बैठक की कार्यवाही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण और दिशा निर्देशों के अधीन अभिलेखित की जायेगी।

(2) विशेष बैठक के लिए प्रक्रिया

(क) अध्यक्ष चौधीस घटों का नोटिस देकर किसी मामले जिस पर उसके या किसी अन्य सदस्य की राय में त्वरित विचार करना अपेक्षित है, पर विचार करने के लिए विशेष बैठक आहूत कर सकेंगा।

(ख) अध्यक्ष और सदस्य तथा ऐसे कर्मचारी अधिकारी व्यक्ति जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाये, विशेष बैठक में प्रतिभाग करेंगे।

(ग) अधिनियम और नियमों तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष या सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकरण की प्रत्येक विशेष बैठक की तारीख समय एवं स्थान और एजेण्डा यथा सम्बव अग्रिम रूप में सदस्यों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सभी विशेष बैठकों के लिए प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्तों को तेगार एवं अभिलेखित करने का प्रबन्ध करेगा।

(ङ) किसी कारण से किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकने के कारण कोई सदस्य, यदि सम्बव हो तो कथित बैठक में वीडिओ कॉन्फ्रेनेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का विकल्प चुन सकेंगा और यह ऐसी बैठक के दौरान मत दिये जाने के प्रयोजन के लिए सदस्य कहे उपस्थिति समझी जायेगी।

(घ) प्राधिकरण की प्रत्येक विशेष बैठक की कार्यवाही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण और दिशा निर्देशों के अधीन अभिलेखित की जायेगी।

(3) उप विनियम (1) और (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना प्राधिकरण प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बैठक

आयोजित करेगा। प्राधिकरण द्वारा भू-सम्पद क्षेत्र के उन्नयन के लिए भी बैठकें आयोजित जाएंगी।
(4) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्राधिकरण की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गयी कार्रवाई तथा अनुपालन प्रतिवेदन को एजेंट्स में प्रक्षेत्र के रूप में रखा जायेगा।

(1) प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। यद्यपि उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकरण में नियुक्ति की तारीख के सदर्भ में वरिष्ठतम् सदस्य द्वारा प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी। अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् उपस्थित सदस्य के समे परिवार से सम्बन्धित किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घन या अन्य हित सम्बन्धी विषय विचार के लिए आने की दशा में वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा एकदम बाद का उपस्थित वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठक के लिए अध्यक्ष यदि वह आवश्यक समझे अथवृण विचार विमर्श को सुगम बनाने के विचार से किसी बैठक में विचार विमर्श किये जाने वाले मामलों में अहं किसी विशेषज्ञ को प्राधिकरण की किसी बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आमत्रित कर सकेगा और ऐसा विशेषज्ञ बैठक की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(1) प्राधिकरण की किसी बैठक चाहे वह साधारण हो या विशेष के लिए गणपृति अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के कुल सदस्यों की सख्ता का तीन बौद्धाई होगी और जब तक पूरी बैठक में गणपृति उपस्थित न रहे प्राधिकरण की किसी बैठक में कोई कारोबार व्यवहृत नहीं होगा।

स्पष्टीकरण— प्राधिकरण की किसी बैठक में गणपृति के प्रयोजनाधं प्राधिकरण के सदस्यों की कुल सख्ता का आशय अध्यक्ष सहित कुल कार्यरत सदस्यों की सख्ता से होगा और सदस्यों या अध्यक्ष के रिक्त पदों की सख्ता कोगणना में नहीं लिया जायेगा।

(2) यदि प्राधिकरण की किसी बैठक में गणपृति नहीं है तो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला वरिष्ठतम् सदस्य बैठक को ऐसी अन्य तारीख समय और स्थान जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। परन्तु जो सात दिनों से अधिक बाद नहीं हो के लिए स्थगित कर सकेगा।

परन्तु यह कि यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी गणपृति पूरी न हो तो उप विनियम (1) में उपबन्धित किसी बात के होते हुए भी कथित स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों से ऐसी बैठक में विचार विमर्श करने और केवल एजेंट्स में दिये गये कारोबार की मदों के निरतारण करने हेतु गणपृति गठित

सदस्यों का बैठक में प्रतिभाग न करना

प्राधिकरण की बैठकों का कार्यवृत्त

- 43 होगी।
- (1) प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आये सभी प्रश्नों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा निर्णीत किया जायेगा। समान मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णयिक मत होगा।
- (2) इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (3) अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला अन्य सदस्य सभी समयों पर यह प्रयास करेगा कि सभी सदस्यों के मध्य आम सहमति माध्यम से वे नियमों अथवा सस्तुतियों पर पहुँचे और आम सहमति पर पहुँचने के प्रयास यदि असफल हो तो मतदान की कार्यवाही की जाएगी।
- (4) प्राधिकरण की किसी बैठक में व्यबहृत किये जाने वाले कारोबार के प्रत्येक मद पर मतदान किया जाएगा और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय प्राधिकरण का निर्णय समझा जायेगा।
- 44 (1) कोई सदस्य जिसका, स्वयं उसके समे परिवार से सम्बन्धित सहित, प्राधिकरण की बैठक में विवार हेतु आ रहे किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घन लाभ या अन्य हित हो तो वह उस मामले के सम्बन्ध में प्राधिकरण के किसी विमर्श या निर्णय में कोई प्रतिभाग नहीं करेगा।
- (2) प्रत्येक सदस्य, सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रारूप 'क' (अनुलग्नक 12) में यह अनुबंध पत्र देगा कि वह उप विनियम (1) में दिये गये सिद्धान्तों से आबद्ध रहेगा।
- (3) कोई सदस्य जो उप विनियम (1) में उपबन्धित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाये, वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- उपष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजनों के लिए सगा परिवार में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री (चाहे वह स्वयं का हो या दल्लक हो), माता पिता, भाई या बहन अथवा कोई व्यक्ति जो रक्त या विवाह द्वारा उनमें से किसी से सम्बन्धित हो, चाहे वह ऐसे सदस्य पर निर्भर हो या नहीं समिलित होंगे।
- 45 (1) सचिव या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित करेगा और एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा जिसमें अन्य धीजों के साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा आमत्रियों के नाम और पद, कार्यवाहियों का अभिलेखन और विसम्मति की टिप्पणियां यदि कोई हो, होंगी।
- (2) प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय को कार्यवृत्त में

रपष्ट और संशोधन रीति से कारणों सहित अभिलिखित किया जायेगा। यदि कार्यवृत्त में किसी आमत्री द्वारा किये गये कथन/प्रस्तुतीकरण अभिलिखित हों तो कार्यवृत्त की एक प्रति ऐसे आमत्री को अभिलिखित उसके कथन/प्रस्तुतीकरण की सत्यता के सम्बन्ध में उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रेषित की जायेगी।

- (3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त आलेख प्रत्येक बैठक का अन्त होने के बारे दिनों की अवधि के भीतर तैयार किया जायेगा और बैठक के अध्यक्ष तथा सदस्यों जिन्होंने बैठक में प्रतिमाम किया हैं, के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) बैठक का अध्यक्ष और सदस्य कार्यवृत्त में विस्तृति मत (यदि कोई हो) सहित, दिये गये अपने विचारों और कथनों की सत्यता के सम्बन्ध में पुष्टि करने के साथ ही अपनी सहमति आगामी दो दिन के भीतर देंगे।
- (5) आयक्ष और सदस्यों द्वारा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त आलेख में इस प्रकार दी गई सहमति तब बैठक के अध्यक्ष की अप्रसारित की जायेगी।
- (6) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के इस प्रकार अन्तिम किये गये कार्यवृत्त में कार्यवाहियों का रखचल एवं सभी सारे होमा तथा बैठक में व्यवहृत कारोबार के किसी मद पर विचारों में प्रतिमाम नहीं करने वाले या मत नहीं देने वाले सदस्यों का नाम होगा।
- (7) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के इस प्रकार अन्तिम किये गये कार्यवृत्त को बैठक के अध्यक्ष/अध्यक्षता करने वाले सदस्य और उपस्थित प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवृत्त संविव या इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अभिलेखके लिए रखने तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों को जारी करने और आवश्यक कारणात् करने के लिए अप्रसारित किया जायेगा।
- (8) बैठक के अध्यक्ष और बैठक में प्रतिमाम किये सदस्यों के द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवृत्त को उसके पश्चात किसी स्तर पर और किसी मंच पर मात्र इसलिए चुनी गई नहीं दी जाएगी कि कार्यवृत्त में कोई छीज सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है।

परिचालन द्वारा
निर्णय

- 46 (1) कारोबार या मामले के किसी मद को जिस पर प्राधिकरण का निर्णय परिचालन द्वारा लिया जाना अपेक्षित हो, यदि स्थिति ऐसी अपेक्षा करे अध्यक्ष द्वारा सभी पत्रजातों के साथ सभी सदस्यों को सदर्भित किया जायेगा।
- (2) ऐसे मद का एक आलेख निर्णय, जिस पर परिचालन के माध्यम से निर्णय लिया जाना है, भी सभी सदस्यों को भेजा जायेगा।

		(3) सदस्यों से अपेक्षित होगा कि वे आलेख निर्णय पर अपना अनुमोदन या अस्वीकृति या संशोधन सहित अनुमोदन या विसम्मति मत 6 दिन के भीतर अध्यक्ष को भेजें।
		(4) परिचालन से इस प्रकार किसी मद पर बहुमत के आधार पर पारित निर्णय को प्रत्येक सदस्य के विचारों सहित पुष्टि के लिए ठीक आगामी होने वाली बैठक में रखा जायेगा।
		(5) परिचालन के आधार पर प्रस्ताव पर लिए गये किसी निर्णय का वही प्रभाव और बाध्यता होगी जैसेकि ऐसा प्रस्ताव किसी बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत किया गया हो।
		(6) परिचालित प्रस्ताव पर प्राप्त मत और विचारों के आधार पर अध्यक्ष आलेख प्रस्ताव सहित उस मद को प्राधिकरण की आगामी नियमित बैठक के लिए जयानीत कर सकेंगा।
गोपनीयता	47	(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य और किसी बैठक के अन्य प्रतिभागी किसी अन्य पक्ष का या तृतीय पक्षकार को गोपनीय सूचनायें, जो उन्हें प्राप्त हुई हैं, प्रकट नहीं करेंगे।
वयों की प्रतिपूर्ति	48	(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तथा किसी बैठक के अन्य प्रतिभागियों से अवैक्षित होगा कि वे पश्चवर गोपनीयता की बाध्यता द्वारा आवश्यक सूचनायें किसी अन्य व्यक्ति को उनकी सेवाएं समाप्त हो जाने पर भी प्रकट नहीं करेंगे।
रिक्तिया इत्यादि से प्रक्रियाओं का	49	(3) प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तथा किसी बैठक के अन्य प्रतिभागी किसी मामले के बारे में अपने या अन्य सदस्य के विचारों को किसी अन्य को प्रकट नहीं करेंगे।
		(4) प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तथा बैठकों के अन्य प्रतिभागी किसी मामले के बारे में अपने या अन्य सदस्य के विचारों को किसी अन्य को प्रकट नहीं करेंगे।
		प्राधिकरण के सदस्यों अधिकारियों या कर्मचारियों के अतिरिक्त प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमत्रित प्रत्येक विशेषज्ञ उसके द्वारा प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करने के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित घनराशि के भुगतान को प्राप्त करने का हकदार होगा। बाहर के कोई विशेषज्ञ वार्ताविक यात्रा व्यय के लिए भी अहं होंगे।
		अध्याय-सात प्राधिकरण की सामान्य प्रक्रियाएं
		प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्राधिकरण के आदेश

प्राधिकरण के
अभिलेख—
अभिलेखीकरण

सूचना की पहुंच

याचिका, शिकायत,
आवेदन इत्यादि के
लिए पंजिका
अनुरक्षण

- 50 कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का प्रधिकार है, या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए सभी या किसी कृत्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। परन्तु यह कि प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाले व्यक्ति को यहाँ सलग्न अनुलग्नक 14 के प्रारूप में प्राधिकृत किये जाने वाले ज्ञाप को प्रस्तुत करना होगा। जब कोई कम्पनी या कोई कर्म या कोई सोसायटी इत्यादि किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे तो इस सम्बन्ध में कम्पनी या कर्म या साझेदारी कर्म के साझीदारों का प्रस्ताव भी दाखिल/प्रस्तुत किया जाएगा।
- 51 प्राधिकरण, किसी कार्यवाही की सुनवाई करने वाला अध्यक्ष/सदस्य या न्याय निर्णायक अधिकारी, ऐसी कार्यवाहियों में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेशों पर ऐसी कार्यवाही को सुनने वाले प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। प्राधिकरण/अध्यक्ष/सदस्य/न्याय निर्णायक अधिकारी हारा दिया गया प्रत्येक आदेश सकारण आदेश होगा।
- 52 प्राधिकरण द्वारा जारी सभी आदेश और निर्णय सविव या प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा सत्यापित किया जायेगा और प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा से युक्त होगा तथा कार्यवाही के सभी पदाकारों को उसके पारित होने की तिथि से यथासम्भव शीघ्रता से संसूचित किया जायेगा।
- 53 प्राधिकरण यथा सम्बद्ध शीघ्रता से अन्य के साथ—साथ मू—सम्पदा परियोजनाओं और अभिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए योजित आवेदनों योजित शिकायतों समय—समय पर जारी आदेशों/दस्तावेजों सहित अपने अभिलेखों का एक सूचीबद्ध डाटाबेस अनुरक्षित करेगा।
- 54 प्राधिकरण लोक छित से सम्बन्धित सूचना को अन्य के साथ—साथ अपनी वेबसाइट सहित पहुंच योग्य और जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।
- 55 (1) प्राधिकरण में प्राप्त सभी याचिकाओं, आवेदनों और शिकायतों को, इलैक्ट्रोनिक रूप सहित, इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित एक पंजीकृत मैत्रकाल प्रविष्ट किया जाएगा और उसके पश्चात यथासम्भव शीघ्रता से अग्रेतर कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली के साथ प्राधिकरण या सदस्य या न्याय निर्णायक अधिकारी या सविव या इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
(2) मू—सम्पदा परियोजनाओं या मू—सम्पदा अभिकर्ताओं के

पंजीकरण के लिए परियोजनाओं तथा अभिकर्ताओं के विस्तार के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को, इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित इस प्रयोजन हेतु अनुरक्षित एक पंजिका में प्रविष्ट किया जायेगा।

अन्तरिम आदेश

अन्वेषण, जांच, सूचनाओं का सकलन

- (3) भू-सम्पदा परियोजनाओं और अभिकर्ताओं के लिए पंजीकरण आवेदनों तथा विस्तारण आवेदनोंकी एक संख्या होगी जो उस शिकायत या पंजीकरण/विस्तारण करने के लिए वैब जनित संख्या होगी। जब तक वैब जनित क्रम संख्या के लिए तंत्र विकसित नहीं होता है तब तक शिकायतों या आवेदनों की क्रम संख्या प्राधिकरण में प्राप्ति अनुसार उसकी संख्या हो सकेगी।
- 56 प्राधिकरण, अध्यक्ष, सदस्य या न्याय निर्णायक अधिकारी किसी कार्यवाही की सुनवाई करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत् कार्यवाही के किसी भी स्तर पर तदर्थ अन्तरिम या अन्तरिम आदेश, जैसा उचित समझा जाय, पारित कर सकेंगे।
- 57 प्राधिकरण, सूचना के एकत्रीकरण, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, तलाशी और जब्ती के लिए अपनी शक्तियों की व्यापकता के पूर्णग्रह के बिना, निम्नलिखित के साथ-साथ एवं सहित ऐसे निर्देश अथवा आदेश कर सकेंगा जैसा वह ठीक समझे:-
- (क) प्राधिकरण किसी भी समय पर सधिव या किसी एक या अधिक अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति जैसा प्राधिकरण उचित समझे को अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में अध्ययन, अन्वेषण करने अथवा सूचना उपलब्ध कराने, के निर्देश दे सकेगा।
- (ख) प्राधिकरण उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसेअन्य निर्देश, जैसा वह उचित समझे, दे सकेगा और जिस समय के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है या सूचना उपलब्ध करायी जानी है उसे इंगेत कर राकेगा।
- (ग) प्राधिकरण, वहियों, लेख्यों इत्यादि को अपने समक्ष उपलब्ध कराने और जैसा इस सम्बन्ध में आदेश दिया जाय, प्राधिकरण के किसी अधिकारी हासा जांच करने और रखने की अनुमति अथवा विहित अधिकारी को कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकेगा या इस हेतु सविव अथवा किसी अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
- (घ) प्राधिकरण किसी सूचना विवरण अथवा दस्तावेज को एकत्र करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो अधिनियम और नियमों के अधीन अपने कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में प्राधिकरण आवश्यक समझे।
- (ङ) यदि प्राप्त की गई कोई ऐसी रिपोर्ट या सूचना

		<p>प्राधिकरण को अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत हो तो प्राधिकरण या सविव अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अग्रेतर जाच, रिपोर्ट और सूचनाये उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा।</p>
		<p>(च) प्राधिकरण ऐसे प्रासादिक, अनुवर्ती एवं अनुपूरकमामलों जिसे उपर्युक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समझा जाय, को देखने के निर्देश दे सकेगा।</p>
58	गोपनीयता	<p>यदि उपर्युक्त विनियम के अनुसरण में प्राप्त कोई रिपोर्ट या सूचना या उसका कोई भाग किसी कार्यवाही में अपनी राय या विचार को बनाने के लिए प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा विश्वास किया जाना प्रस्तावित हो तो कार्यवाही के पक्षकारों को ऐसी रिपोर्ट या सूचना पर आपत्तिया दाखिल करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।</p>
59		<p>(क) प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी मूल्यांकन और निर्धारण करेंगे कि क्या किसी पक्षकार द्वारा उसे उपलब्ध कराये गयेकिसी दस्तावेज या साक्ष्य के सम्बन्ध में उस पक्षकार द्वारा यह दावा किया गया हो कि वह गोपनीय प्रकृति का है गोपनीय होने से उसके दूसरे पक्षकार को प्रकटीकरण को रोके जाने में बल है और अपने निर्णय पर पहुँचने के लिए लिखित रूप में संक्षिप्त कारणदर्शगे।</p> <p>(ख) यदि प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी का यह मत है कि गोपनीयता के लिए दावा न्यायसंगत है तो प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी यह निर्देशित करेगा कि उसे ऐसे पक्षकारों, जिसे प्राधिकरण उचित समझे, को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तथापि, गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार गोपनीय पाये गये दस्तावेजों के अधी एवं तथ्य का गैर गोपनीय सारांश उपलब्ध करायेगा तथा उसे लिये जाने की अनुमति देगा।</p> <p>(ग) उपर किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या न्याय निर्णयक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपने निर्णय पर पहुँचने के लिए गोपनीय पाये गये दस्तावेजों के विवरण को विचार में ले लें।</p>
60	मृत्यु इत्यादि के पश्चात कार्यवाहियों की निरन्तरता	<p>(क) जहा किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाए या वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए या कम्पनी के मामले में वह परिसमापन/बन्द किये जानेकेझड़ीन हो तो कार्यवाही सम्बन्धित पक्षकार के हितों के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापन कर्ता या विधिक प्रतिनिधि, जैसी भी रिथ्ति हो, के साथ जारी रहेगी।</p> <p>(ख) यदि प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी ऐसा निर्देश दे और मामले के अभिलेख में हित उत्तराधिकारी को लाने की आवश्यकता नहीं समझे तो प्राधिकरण या न्याय निर्णयन</p>

		अधिकारी/कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्यवाही को रोक सकेगा।
(ग)		किसी मामले में यदि किसी व्यक्ति की इच्छा हित उत्तराधिकारी इत्यादि को अभिलेख पर लाने की हो तो हित उत्तराधिकारी को मामले के अभिलेख में लाने की अपेक्षा करने वाली घटना से 30 दिन के भीतर इस प्रयोजनार्थ आवेदन दाखिल किया जाएगा। प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी पर्याप्त कारणों से विलम्ब यदि कोई हो, को मर्खित कर सकेगा। अधिनियम, नियम और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन प्राधिकरण समय—समय पर विनियमों के कार्यान्वयन और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश और निर्देश जारी कर सकेगा।
61	आदेशों एवं निर्देशों का जारी किया जाना	यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण ने कोई आदेश जारी किया है या किसी व्यक्ति को कोई कृत्य करने के लिए किसी कृत्य को करने से रोकने का निर्देश दिया गया हो और वह उस आदेश या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल हो गया हो तो उस आदेश या निर्देश का निष्पादन/प्रवर्तन प्राधिकरण अथवा न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया सहित के उपबन्धों के अनुसार कराया/निष्पादित किया जाएगा। यह उपबन्ध अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) तथा अध्याय 8 के उपबन्धों के अतिरिक्त है।
62	आदेशों/निर्देशों का निष्पादन और प्रवर्तन सदर्भ— धारा 40	सभी अभिकथन, आवेदन और याचिकाएँ/शिकायतें तथा मुख्तारनामा, अनुबन्ध, शपथपत्र, प्रमाण पत्र चाहे वे विहित प्रारूप में हों या मूल में हों, या कारोकित हो गया अन्यथा, विशेषत टकित/कम्प्यूटर से मुद्रित।
63		प्रत्येक अभिकथन, आवेदन, शिकायत, याचिका और साथ ही प्रतिवादी का उत्तर एवं प्रत्येक दस्तावेज (चाहे वह मूल, फोटोप्रति के या कम्प्यूटर मुद्रित हो), सूचना, कथनआवेदक, अभिकथन कर्ता, शिकायतकर्ता/उत्तरदाता, सम्प्रवर्तक इत्यादि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जायेगा।
64		प्रत्येक शपथपत्र चाहे वह परियोजना पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारूप खंड में हो या अन्यथा हो, वह समुक्ति प्रारूप में होगा, जिसमें व्यक्ति का पूरा नाम उसकी आयु, पिता का नाम, पता तथा क्षमता जिसमें शपथ पत्र हस्ताक्षर किया जा रहा है, इमित होगा तथा उसे जो शपथपत्र में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
65		परियोजना/अभिकर्ता पंजीकरण या शिकायत कार्यवाही में अभिलेख या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करते समय प्रथम पृष्ठ पर एक अनुक्रमणिका उसमें प्रत्येक पेपर की पूर्ण और विस्तृत सूची इमित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी। अनुक्रमणिका भी आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और इसके शीर्ष भाग में यथास्थिति
66		

- परियोजना, सम्प्रवर्तक, अभिकर्ता या पक्षकारी का नाम और शिकायत या पंजीकरण आवेदन सत्या भी इगत की जाएगा। अनुक्रमणिका में मोटे तथा छड़े अकारों में उसके सबसे ऊपरी भाग पर 'उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण' के समक्ष लिखा जायेगा।
- 67 अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) तथा नियमावाली के नियम 23 के उपबन्धों के अनुसार जारी वसूली ग्रमाण पत्र के साथ से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि या निष्पादन प्रक्रिया के साथ से प्राप्त धनराशि उसकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के बैक खाते में जमा की जायेगी और तब जिस व्यक्ति से सम्बन्धित वह धनराशि होंगी (यथास्थिति वापसी धनराशि बाज और क्षतिपूर्ति) उस व्यक्ति को उसके तत्काल पश्चात इस सम्बन्ध राशि अवमुक्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अन्तरित कर दी जायेगी और शास्ति धनराशि प्राधिकरण के खाते में ले ली जायेगी। धन का अन्तरण दावेदार की समुचित पहचान से किया जायेगा।
- 68 प्रत्येक अभिकथन, आवेदन, याचिका या कथन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण/न्याय निर्णय अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। अभिकथन या याचिका, अभिकथनों या याचिकाओं के उत्तर में विवरण सहित पक्षकारी के नाम दिये जायेंगे। याचिकाएं, अभिकथन और उनके उल्लंघन प्रकार तैयार और प्रस्तुत किये जायेंगे कि प्रत्येक कथन पृथक प्रस्तर/कठिनका में वर्णित किया गया है।
- 69 प्रत्येक आवेदन, याचिका या अभिकथन में लिथि और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और पूर्ण हस्ताक्षर या अग्रूढ़ का निशान होगा।
- 70 निन्न विषयों के मामले के सम्बन्ध में पृथक आवेदन किये जायेंगे।
- 71 प्रत्येक आवेदन में स्पष्ट और सक्षिप्त सामग्री होगी तथा अस्पष्ट कथन या सामग्री नहीं होगी। आवेदन में कोई तकँगत सामग्रीया कथनभी नहीं दिया जायेगा।
- 72 नकल के लिए आवेदन के अतिरिक्त प्रत्येक आवेदन, शिकायत, याचिका या अभिकथन प्राधिकरण या न्याय निर्णय अधिकारी को पक्षकार द्वारा स्वयं उसके बकील या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
- 73 सम्प्रवर्तक, अभिकर्ता और शिकायतकर्ता परियोजना, अभिकर्ता के पंजीकरण और शिकायतों के सम्बन्ध में प्राधिकरण (अथवा न्याय निर्णय अधिकारी)के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा। सप्रवर्तक के एक कम्पनी, फर्म या सोसाइटी होने के मामले में कम्पनी, सोसाइटी, फर्म इत्यादि के निदेशक मण्डल(बोर्ड) द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति के साथ

- प्राधिकारपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जबकि साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी का निर्णय प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में प्राधिकार पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जायेगी।
- 74 सभी शिकायतें, याचिकाएं, अभिकथन और साथ ही परियोजना या अभिकर्ता के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र यथास्थिति शिकायत करते याची, आवेदक के पुष्टिकारक शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 75 नियमित के सिवाय आवेदन पत्रों पर कोई अन्य आदेश अभिलिखित नहीं किये जायेंगे।
- 76 सुनवाई के लिए कोई तिथि एक बार निर्धारित कर दिये जाने पर यथासम्बन्ध उस पर टिका जाएगा तथा अपवादिक परिस्थिति में उचित कारण, जिन्हे अभिलिखित किया जाएगा, के सिवाय कोई स्थगन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी पक्षकार के अनुरोध मात्र पर ही स्थगन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। स्थगन चाहने वाले पक्ष पर, ऐसे मामले में समुचित राशि के मुग्यतान का अधिरोपण किया जा सकेगा। जब कोई पक्ष जिसके पिरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है, और पक्षकार बाद में ऐसे निर्णय को प्रत्याहरित करने का अनुरोध करता है ऐसे मामले में उस पर समुचित बनराशि अधिरोपित की जा सकेगी।
- 77 आदेश एवं निर्णय पृष्ठ के बारे और समुचित हाशिया रथान छोड़ते हुए फुल स्केप पत्र पर उल्लिखित किया जायेगा। निर्णय के सबसे ऊपरी भाग पर प्राधिकरण का नाम और इसके नीचे पंजीकरण आवेदन/शिकायत की संख्या तथा आवेदक/पक्षकारों का नाम उल्लिखित किया जायेगा। आदेश या निर्णय या अन्तिम निर्णय इस प्रयोजन के लिए एक पृष्ठक पृष्ठ पर लिखित या टॉकित होगा और आदेश शीट पर या पत्रावली के किसी अन्य पृष्ठ पर नहीं होगा। इसके क्रियात्मक भाग या सार को आदेश शीट में लिखा जा सकेगा। निर्णय या आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष/सदस्य/न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- 78 किसी अन्य पद्धति से तामिलों को अव्यवहारिक मान जाने या अपर्याप्त पाये जाने पर ही समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामिलों की प्रतिस्थापित पद्धति अपनायी जायेगी।
- 79 किसी शिकायत कार्यवाही में प्रत्येक अभिलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके दाहिने ओर शीर्ष भाग में शिकायत की संख्या और वर्ष तथा पक्षकारों का नाम अकिञ्चित किया जायेगा।
- 80 प्रत्येक कार्यवाही/शिकायत पत्रावली में सामान्य अनुक्रमणिका होगी। सामान्य अनुक्रमणिका का प्रारूप है, निम्नलिखित होना चाहिए—

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण देहरादून।
शिकायत संख्या /20....(या कार्यवाही का विवरण)
बनाम

सामान्य अनुक्रमणिका

क्र0स0	पत्र का विवरण	पृष्ठों की संख्या	पृष्ठ संख्या
81	सामान्य अनुक्रमणिका प्रत्येक कार्यवाही/ शिकायत के अभिलेख के सबसे पहले रहेगी और इसमें प्रत्येक पत्र की प्रविष्टि इसके प्रस्तुत/ योजित करते ही की जायेगी।		
82	आदेश शीट पर पक्षकारों या आवेदक और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति को अभिलिखित किया जायेगा। आदेश शीट में प्रत्येक पारित आदेश/ निर्देश और साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं जो हुई हों को भी अभिलिखित किया जाएगा। जहां आदेश या निर्देश पत्रावली में कही अन्य अभिलिखित किया गया हो, उसके बारे में विषय सहित एक टिप्पणी आदेश फलक में अभिलिखित की जायेगी। आदेश फलक में प्रविष्टिया तिथिवार अनुसंधित की जायेगी।		
83	आदेश शीट में या अन्यत्र अभिलिखित सुनवाई हेतु तिथि नियत करनेया स्थगित करने के आदेश अथवा पक्षकारों या उनके परोक्तारों हुआ किये जाने वाले किसी कार्य के निर्देश पर, जहां तक सम्भव हो, पक्षकारों या उनके परोक्तारों हुआ वही एवं उसी समय हस्ताक्षर किया जाएगा।		
84	किसी शिकायत में उसके अंतिम आदेश के विरुद्ध निष्पादन कार्यवाही एक पृथक पत्रावली में व्यवहृत की जायेगी जिसे स्वयं में एक विविध मामले के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। इसी प्रकार परियोजना पंजीकरण अधिक विस्तार और भू-सम्पदा अभिकर्ता की अवधि के विस्तारण से सम्बंधित मामले भी एक पृथक विविध पत्रावली में व्यवहृत किये जायेंगे। इन सभी मामलों में निष्पादन और विस्तारण मामलों के निस्तारण के समय मूल पत्रावलियों को देखा जायेगा।		
85	जब किसी कार्यवाही के लिए किसी अभिलेख का दस्तावेज अपेक्षित हो तो उस दस्तावेज की फोटोप्रति की जायेगी और उसका उपयोग अन्य कार्यवाही में किया जायेगा।		

प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह मू—संपदा परियोजना के पंजीकरण, परियोजना पंजीकरण अवधि के विस्तारण, अभिकर्ता पंजीकरण, अभिकर्ता पंजीकरण अवधि के विस्तारण, शिकायत और निष्पादन कार्यवाहिया, परियोजना/ अभिकर्ता के पंजीकरण के प्रत्याहरण तथा धारा 8 के अधीन परियोजना को पूर्ण करने से सम्बंधित हो, पृथक पंजिकाओं में और साथ ही साथ डिजिटल रीति में सम्बंधित श्रेणी के अधीन सूचीबद्ध की जायेगी। जैसा ही आवेदन अथवा शिकायत प्राप्त हो या कार्यवाही प्रारम्भ हो, सूची लिखिकार और क्रमवार तैयार की जाएगी। सूची में किसी कार्यवाही में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रगति को भी प्रविष्ट किया जाएगा। सूची अथवा पंजिकाओं को कार्यवाही के प्रारम्भ होने/आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि के अनुसार रखा जाएगा।

प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करते समय सह—शिकायतकर्तामण्डण या सह—संप्रवर्तक मणि, परियोजना अथवा अभिकर्ता पंजीकरण के सह—आवेदक अथवा किसी साझेदारी कर्म के विभिन्न साझेदार उनमें से किसी एक या अधिक को उनकी ओर से अभिकरण करने, उपरिषित होने, कृत्य करने या प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सम्बंध में शपथ पत्र द्वारा समर्थित और सम्यक रूप से स्टाम्पित किये हुए मुख्तारनामे के माध्यम से प्राधिकृत कर सकेंगे।

अध्याय आठ

अधिकार और लागत

(क) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीनीन जैसा प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय, सभी कार्यवाहियों से सम्बन्धित लागत प्राधिकरण या न्यायनिर्णयन अधिकारी के विवेक से लगायी जायेगी और प्राधिकरण या न्याय निर्णयन अधिकारी को यह निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसे लागत को किसके द्वारा किस नियम में से और किस सीमा तक मुगलान किया जायेगा तथा वे उक्त प्रयोजनों के लिए इस सम्बंध में सभी आवश्यक निर्देश देंगे। लागत को प्राधिकरण में जमा करने या किसी पक्षकार या ऐसे व्यक्ति को मुगलान करने, जैसा प्राधिकरण या न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा नियत किया जाय के आदेश दिये जा सकेंगे।

(ख) लागत को आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसा प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी अपने आदेश में निर्देश दे, मुगलानित किया जायेगा। यदि कोई पक्षकार अनुज्ञात अवधि के भीतर लागत के लिए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो लगाई गई लागत के लिए प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश को ठीक उसी रीति से

निष्पादित किया जायगा जैसा प्राधिकरण के एक निर्देश/आदेश को निष्पादित किया जाता है।
स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण में अध्यक्ष और/या सदस्यतथा साथ-साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

प्रशासनिक अधिभार और मानक शुल्क

89

प्राधिकरण आदेश द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियों, वैवसाइट को अद्यतन किये जाने के लिए डाटाबेस के प्रबंधन और वैबसाइट के अनुरक्षण के लिए सप्रवर्तकों अथवा नूसम्पदा अभिकर्ताओं अथवा आवटियों पर अधिरोपित किये जाने वाले वार्षिक शुल्क सहित मानक शुल्क निर्धारित कर सकेगा।

90

कार्यवाही के किसी स्तर पर और अन्तिम निस्तारण के समय भी, लागत अधिरोपित करते समय प्राधिकरण/न्यायनिर्णयन अधिकारी यह देखेगा कि अधिरोपित की गई लागत यथासम्बद्ध वास्तविक और उचित हो जो किसी पक्षकार को हुई कठिनाई की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त हो और उसमें पक्षकार द्वारा बिताया गया समय, परिवहन, आवास की लागत, अन्य ग्रासगिक लागत और अधिवक्ता/चार्टर एकाउण्टेंट का शुल्क इत्यादि सम्मिलित होगा।

अध्याय नं

प्राधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियाँ

व्यावृति और प्राधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियाँ

91

इन विनियमों की कोई बात प्राधिकरण को अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को, जो सक्षिप्त प्रक्रिया सहित इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के मिन्न हों, को अपनाने में प्राधिकरण को सहित नहीं करेगी, यदि प्राधिकरण किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग को व्यवहृत करने के लिए ऐसा करनाउचित या समीचीन समझे।

92

इन विनियमों की कोई बात प्राधिकरण को किसी मामले को व्यवहृत करने अध्यक्ष अधिनियम या नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाधित नहीं करेगी जिनके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, और प्राधिकरण ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों को उस रीति में व्यवहृत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

सुधार की सामान्य शक्ति	93	प्राधिकरण/न्याय निर्णयिक अधिकारी किसी समय और ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी कमी या त्रुटि (जिसमें प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की कोई लिपिकीय या गणितीय त्रुटि सम्मिलित है) को ठीक कर सकेगा और सभी आवश्यक सुधार, उत्पन्न कार्यवाही में वास्तविक प्रश्नया बिन्दु के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किये जायेंगे।
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	94	परन्तु यह कि यदि प्राधिकरण/न्याय निर्णयिक अधिकारी, उत्पन्न वास्तविक प्रश्न या बिन्दु के निर्धारण के लिए सुधार करनाचाहे तो प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी, प्रस्तावित सुधार के सम्बन्ध में ऐसे सुधार से सम्बन्धित वास्तविक प्रश्न या बिन्दु से प्रभावित होने वाले पक्षकारों को प्रत्यावेदन और पक्ष प्रत्युत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा।
विहित समय का विस्तार या सक्षेपण	95	यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कुछ भी जो कठिनाईयों के निवारणार्थ आवश्यक अथवा समीक्षीय प्रतीत हो और जो अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकेगा।
गैर अनुपालन का प्रभाव	96	अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विनियमों द्वारा या प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश द्वारा किसी कार्य को करने के लिए समय को पर्याप्त कारण से प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश द्वारा विस्तारित (जाहे वह पहले ही समाप्त हो गया हो या नहीं) या कमकिया जा सकेगा।
अभिलेख कक्ष को अभिलेखों का अतरण	97	विनियमों के किसी अपेक्षा की अनुपालन में असफल होने पर कोई कार्यवाही केवल ऐसी असफलता के कारण अवैध नहीं होगी जब तक कि प्राधिकरण/न्याय निर्णयन अधिकारी इस मत के न हो कि ऐसी असफलता से न्याय का हनन हुआ है।

अध्याय दस

अभिलेख रखरखाव एवं मांग

प्रत्येक पूर्ण कार्यवाही की पत्रावलिया प्रत्येक माह के प्रारम्भ में प्राधिकरण के अभिलेख कक्ष को अतिरिक्त कर दी जायेगी। जब कोई रक्षित अभिलेख उपयोग के लिए अपेक्षित है या उल्तराखण्ड मूः-सपदा अपीलीय न्यायाधिकरण या माठ उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा मगाया जाना है तो सम्बन्धित मांग फार्म या पत्र की प्रति ऐसे अभिलेख के स्थान पर रख दी जायेगी। इसी प्रकार जब कोई पूर्ण अभिलेख, जो अभिलेख कक्ष में अब तक उक्त इगमित समय पर इस कारण रक्षित नहीं किया गया है कि वह किसी कार्यवाही में अपेक्षित है या मगाया गया है, तो ऐसे पत्र या मांग फार्म की प्रति अभिलेख के स्थान पर अभिलेख

कहा को भेज दी जायेगी।

98 जब कई पूर्ण अभिलेख अभिलेख कक्ष में रक्षित करने हेतु अन्तरित किये जायें तो अन्तरित किये जाने वाले अभिलेखों के साथ अन्तरित किये जाने वाले अभिलेखों की एक सूची भी अन्तरित की जाएगी। सूची की एक प्रति उसे भेजने वाला अपने पास सुरक्षित रखेगा। ऐसी सभी सूचियों की प्रति तारीखवार भविष्य की आवश्यकता के लिए एक पत्रावली में रखी जायेगी।

99 माम पर कोई अभिलेख साधारणतः संदेसवाहक के माध्यम से बद लिफाके में भेजा जायेगा। बाहरी स्थानों के लिए अभिलेख के पासेल पजीकृत डाक टुकड़ा भी भेजे जा सकते हैं। जब माम पर एक से अधिक अभिलेख भेजे जाएं तो अभिलेखों के बण्डल के साथ प्रत्येक अभिलेख के विरुद्ध माम के संदर्भ सहित सभी अभिलेखों की एक सूची भेजी जायेगी।

अध्याय ख्यारह

अभिलेखों को रखे जाने की अवधि तथा विनष्टीकरण

100 अभिलेखों के रखे जाने की अवधि निम्नवत्त होती है—

परियोजना	परियोजना के पूर्ण होने के 8 वर्ष पश्चात् सभी इकाईयों के कब्जे हस्तान्तरित करने और साथ ही उनके विक्रय विलेख निष्पादित होने के बाद
मुग्तान बाजारस	स्थाई
लेख	स्थाई
अधिप्राप्ति पत्रावलिया/अभिलेख	अकदाण तथा अकेटाण आपत्तियों की अनुपालना के बाद पांच वर्ष
अवकाश आवेदन पत्र	एक वर्ष
परियोजना विस्तार पत्रावलिया	परियोजना के पूर्ण होने तथा कब्जा हस्तान्तरण जीर्ण साथ ही विक्रय विलेखों के निष्पादन के आठ वर्ष पश्चात्
प्रशासनिक मामले	तीन वर्ष
अभिकर्ता पजीकरण पत्रावलिया (अभिकर्ता विस्तार सहित)	पजीकरण की अवधि समाप्त के तीन वर्ष पश्चात्
विविध शिकायत पत्रावली (अतिम आदेश के निष्पादन सहित)	एक वर्ष आदेश/निर्देशों की अनुपालना के पश्चात् पांच वर्ष

स्थाई कर्मचारियों के सेवा अभिलेख	स्थाई	
अस्थाई कर्मचारियों के सेवा अभिलेख	अक्षण आपत्तियों यदि कोई हो, कोअनुपालना के पश्चात पाव वाप पारा ४ के अधीन परियोजना का पूर्ण करने सहित परियोजना की पूर्णता से सम्बंधित प्रावलियों।	अक्षण आपत्तियों यदि कोई हो, कोअनुपालना के पश्चात पाव वाप पारोजना के पूर्ण होने और सभी इकाईयों का कव्जा हस्तान्तरण और साथ ही विक्रय विलेख निष्पादित होने आठ वर्ष पश्चात
अभिलेखों का विनिर्दिकरण	101 महीने दर महीने प्रावलियों/अभिलेखों जिनको रखे जाने की अवधि समाप्त हो गयी है, को अभिलेख से हटा दिया जायेगा और उन्हे विनष्ट या टुकड़े-टुकड़े करके नष्ट कर दिया जायेगा तथा अभिलेखों के साथ अंतरित सूची के विरुद्ध विनष्टीकरण/नष्ट करने की तारीख सहित इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी।	
	102 यदि किसी अभिलेख के रखे जाने की विहित अवधि के भीतर कोई विवाद या आवश्यकता उत्पन्न हो तो ऐसा अभिलेख तब तक विनष्ट या नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे विवाद का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो जाय या उसकी आवश्यकता समाप्त न हो जाय।	
	103 किसी अभिलेख को रखे जाने की अवधि समाप्त होने पर उसके प्राधिकरण की वेबसाइट में विवरण भी हटा दिये जायेंगे।	
अध्याय बारह विविध		
समितियों का मठन	104 प्राधिकरण समय-समय पर प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों या अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों जैसा वह उचित समझे से सरचित प्राधिकरण को ऐसे मामलों जिन्हे विहित या विनिर्दिक्त किया जाय और ऐसे निर्देश के अध्योन जैसा प्राधिकरण प्रदान करे परामर्श देने के लिए समितियों या उपसमितियों नियुक्त कर सकता।	
	105 प्राधिकरण का कारोबार या तो हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में, जैसा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा व्यानियत किया जाय, व्यवहृत किया जायेगा।	
	106 यदि इन विनियमों की व्याख्या में कोई शक उत्पन्न हो तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और रामी सम्बंधितों पर वाच्यकारी होगा।	

अनुमति—१
प्रारूप
आवेदन पत्र
(विनियम ५ देखें)

आवेदन पत्र संख्या

दिनांक.....

सेवा में

श्रीमान / श्रीमती

पुत्र श्री / पत्नी श्री / पुत्री श्री

निवास.....

टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या

ईमेल आईडी

(आवेदी का नाम और पता; आवेदी वैयक्तिक, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, कम्पनी, सरकारी अधिकारी / इकाई इत्यादि हो सकता है)

प्रिय नहोदय / महोदया,

शहर / राजस्व ग्राम..... परगना..... तहसील.....
ज़िला..... के खसरा संख्या..... में हमारे (विकासकर्ता का नाम.....)
द्वारा विकासकर्ता के रूप में विकसित किये गये / विकसित किये जाने वाले
(भूसम्पदा परियोजना का नाम) में
भूखण्ड / अपार्टमेंट / आवास / दुकान / वाणिज्यिक इकाई / भवन / फ्लैट के लिए आवेदन हेतु
कृपया अपने आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें। उपर्युक्त भूमि का विधिक और कैदानिक स्थानित्य
(भू—स्वामी का नाम और पता) का है। भूमि के स्थानित्य के अनुसार उक्त भूमि(यो) के
स्वामी सप्रवर्तक / विकासकर्ता से भिन्न व्यक्ति है। अतः सप्रवर्तक / सप्रवर्तीकों के रूप मेरे / हमारे
और भू—स्वामी / स्थानित्यों के मध्य दिनांक को संयुक्त विकास करार / सहयोग
करार / विकास करार / करार / पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। जिसकी प्रति
इसके साथ संलग्न की जा रही है। भूसम्पदा परियोजना का अभिन्यास रेखांक (ले आउट
योजना) / सन्निर्माण योजना तथा भू सम्पदा परियोजना का मानविक्रि (संस्कार
प्राधिकारी का नाम) द्वारा उनके पत्र संख्या दिनांक माध्यम मेरे / हमारे
नाम से या भूस्वामी(मियो) के नाम से स्वीकृत है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही
है। इसके अतिरिक्त (सम्बद्धि प्राधिकारी का नाम) से उनके पत्र संख्या
दिनांक से अनुमोदन / अनुमति भी प्राप्त है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है। आपके

आवदेन पत्र में आवटन को लिए आपने अपनी रुचि के आवटन को इंगित किया है/ नहीं किया है।

हमने आपसे उक्त परियोजना में भूखण्ड/अपार्टमेंट/आवास/दुकान/वाणिज्यिक इकाई/भवन/फ्लैट/.....हेतु बुकिंग घनराशि/प्रथम किश्त के रूप में ₹0.....(लप्या.....मात्र) प्राप्त कर लिया है।

आपको यह अवगत कराते हुए हम हर्षित/दुखित हैं कि आपको भूखण्ड/अपार्टमेंट/आवास/दुकान/वाणिज्यिक इकाई/भवन/फ्लैट/.....आवटित कर वाणिज्यिक इकाई/भवन/फ्लैट/.....की संख्याहै जोखण्ड/टावर कथित भूखण्ड/अपार्टमेन्ट/इकाई आपकी रुचि अनुसार है/नहीं है।

परियोजना के कुछ आवश्यक विवरण आपकी सूचना के लिए यहाँ नीचे दर्शित हैं, अर्थात्—

(1) परियोजना पंजीकरण (रेरा हुआ)

पंजीकरण संख्या—

दिनांक—

वैधता (तिथि तक)—

(2) अभिन्यास अनुमोदन

अनुमोदन संख्या—

दिनांक—

वैधता (तिथि तक)—

(3) मानचित्र अनुमोदन—

अनुमोदन संख्या—

दिनांक—

वैधता अवधि (तिथि तक)—

(4) अन्य अनुमोदन (यदि कोई हो)

अनुमोदन संख्या—

दिनांक—

वैधता (तिथि तक)—

(5) अनुमानित परियोजना लागत—

₹0.....

(6) परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि—

(7) परियोजना का चरण वार समापन/समय सूची—

(8) परियोजना विकास / प्रगति की स्थिति तिथि तक _____ (1) भौतिक

(9) भूमि स्वामित्व की स्थिति (2) विलीय

सप्रवर्तक(को) के स्वामित्व में खसरा सरद्दा—

अन्य के स्वामित्व में शहर / गांव—

परगना—

तहसील—

जिला—

(10) परियोजना हेतु पृथक बैंक खाते का विवरण बैंक का नाम

खातेदार का नाम

खाता संख्या

बत्तेमान तक कुल संग्रह _____ रु.

बत्तेमान तक कुल ब्याज _____ रु.

खाते में शेष घनराशि (____ दिनांक का) _____ रु.

(11) आवटिल भूखण्ड / अपार्टमेंट / आवास / दुकान / वाणिधिक इकाई / मर्वन की अनुमानित लागत (करी को ओड़कर)

(12) परियोजना समाप्ति की तारीख-

(13) कब्जा देने की तारीख / समय-

(14) मुगलान तिथियों की सारणी सूची-

क्र.सं	विवरण	निरिखत समय	किश्त की घनराशि
1	पहली किश्त	बुकिंग के समय पर	बुकिंग घनराशि के रूप में भूखण्ड / अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का दो प्रतिशत
2	दूसरी किश्त	विक्रय के लिए करार हस्ताक्षरित करने के समय पर, जो आवटन पत्र जारी होने के एक माह के भीतर और बुकिंग घनराशि की प्राप्ति सहित बुकिंग आवेदन के दो माह के भीतर किया जायेगा	भूखण्ड / अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधिक्तर आठ प्रतिशत

3	तीसरी किश्त	आवंटित इकाई की 20 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/ इकरारनामे के चार माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 15 प्रतिशत
4	चौथी किश्त	आवंटित इकाई की 40 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/इकरारनामे के 07 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 15 प्रतिशत
5	पांचवीं किश्त	आवंटित इकाई की 60 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/ इकरारनामे के 10 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 15 प्रतिशत
6	छठवीं किश्त	आवंटित इकाई की 80 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/ इकरारनामे के 14 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 15 प्रतिशत
7	सातवीं किश्त	आवंटित इकाई की 90 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/ इकरारनामे के 16 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 15 प्रतिशत
8	आठवीं किश्त	आवंटित इकाई की 100 प्रतिशत मौतिक प्रगति पर और विक्रय के लिए आवंटन पत्र/ इकरारनामे के 18 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 10 प्रतिशत
9	नवीं किश्त	कब्जा दिये जाने की तारीख को तथा आवंटन पत्र/ विक्रय के लिए इकरारनामे की तारीख के 19 माह के भीतर	मूख्यङ्ग/अपार्टमेंट इत्यादि के मूल्य का अधेतर 5 प्रतिशत
10	हस्तात्तरण विलेख का निष्पादन और पंजीकरण	कब्जा दिये जाने के तत्काल पश्चात तथा आवंटन पत्र/ विक्रय के लिए इकरारनामे की तारीख से 20 माह के भीतर	-

(15) मुग्धतान की रीति—

घनराशि का चैक, छापट या ऑफलाइन अंतरण।

(16) किश्त का विलम्ब से भुगतान—

किसी किश्त के विलम्ब से भुगतान के लिए आवटी से परियोजना के विकासकर्ता (संप्रवर्तक) को किश्त भुगतान की नियत तारीख से विलम्ब की अधिकारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की सीमात लागत आधारित उच्चतम उधार दर से दो प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज देय होगा।

(17) आवटन का निरस्तीकरण—

(एक) तीन लगातार किश्तों के भुगतान न करने के मामले में ऐसा आवटन निरस्त करने योग्य होगा। ऐसे मामलों में बुकिंग घनराशि* जब्त की जा सकेगी।

(दो) आवटी विसी भी समय किन्तु पूर्णता/कब्जा हस्तान्तरण की तारीख से पूर्व परियोजना से अपने आप को पृथक कर सकेगा और आवटन को निरस्त करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसे मामले में भी बुकिंग घनराशि जब्त की जा सकेगी। आवटन को अस्वीकार किये जाने के मामले में भी बुकिंग घनराशि विना ब्याज के वापसी योग्य है।

(तीन) इन दोनों मामलों में किश्तों के अधीन जमा की गयी घनराशि आवटी को दिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण के 45 दिन के भीतर वापस की जायेगी।

(18) पंजीकरण, कर और अन्य अधिभार—

विक्रय के लिए करार और हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय आकर्षिक व्ययों तथा करों (वस्तु एवं सेवा कर सहित) सहित सभी पंजीकरण तथा अन्य प्रभार आवटी छार यहन और भुगतानित किये जायेंगे।

आवटन के एक माह के भीतर/कब्जा हस्तांतरित करने के एक माह के भीतर आपको हमारे साथ क्रमशः विक्रय करार और हस्तांतरण विलेख इसके साथ संलग्न प्रलिपि में करना होगा।

कृपया दिनांक तक आवटन पत्र की प्राप्ति स्थीकार करे और कठिन आवटन पर अपनी स्थीकारोंका की पुष्टि भी करे।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(राप्रवर्तक / निदेशक / साझेदार / प्राधिकृत व्यक्ति इत्यादि

विकासकर्ता / संप्रवर्तक के लिए और उनकी ओर से प्राधिकृत प्रस्ताव / पत्र को इसके साथ संलग्न किया जा रहा है)

*टिप्पणी— बुकिंग घनराशि टोकन घनराशि है जो भूखण्ड/अपार्टमेंट/आवास/दुकान/वाणिज्यिक इकाई/मधन/प्लैट इत्यादि के मूल विक्रय मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और उसे विक्रय की प्राप्तियों में समायोजित किया जायेगा।

अनुलग्नक-2

प्रारूप

विक्रय विलेख/हस्तांतरण विलेख

यह विक्रय विलेख/ हस्तांतरण विलेख (यिमेयमन 5 देखो) (मारा) 20 का
(ठिक्की) दिन का _____ (स्थान) निष्पादित किया गया।

द्वारा तथा के मध्य

(यदि संप्रवर्तक कम्पनी है)

(सीआईएन संख्या _____) कम्पनी अधिनियम (1956 या 2013
लेटी या स्थिति तो) के उपबन्धों के अधीन निर्मित एक कम्पनी (PAN _____) जिसका
रजिस्टरेशन कार्यालय _____ में है तथा इसका निर्मित कार्यालय
में है जिसका प्रतिनिधित्व बोर्ड के साकाल्य दिनांक _____ द्वारा प्राप्तिकृत
हस्ताक्षरकर्ता _____ (आधार संख्या _____) कर रहा है और
जिसे इसने इसके बाद "संप्रवर्तक"/पिकेटा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभिव्यक्ति
में, जब तक सदमें या उसके अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके हित उत्तराधिकारी तथा अन्तिम
समनुदर्शित अनिप्रेत तथा शामिल रामङ्ग जाएंगे)

(या)

(यदि संप्रवर्तक भागीदार फर्म है)

मार्तीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म
(PAN _____), जिसका मुख्य कारोबार स्थान _____ में है जिसका प्रतिनिधित्व
फर्म के साकाल्य दिनांक _____ द्वारा प्राप्तिकृत इसके प्राप्तिकृत भागीदार
(आधार संख्या _____) कर रहे हैं जिसे, इसमें, इसके बाद "संप्रवर्तक"/पिकेटा के
रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक सदमें या उसके अर्थ के विरुद्ध न
हो, उक्ता फर्म के भागीदार या तत्समय के भागीदार, उत्तरजीवी या उनके उत्तरजीवी तथा उनके
तारिस निष्पादक अन्तिम उत्तरजीवी भागीदार के प्रशासक और उसके/उसकी/उनके
समनुदर्शित अनिप्रेत एवं शामिल रामङ्ग जाएंगे)

(या)

(यदि संप्रवर्तक वैयक्तिक है)

श्री/ श्रीमती

(आधार संख्या)

PAN

), पुत्र/पुत्री

, आयु लगभग

निवासी

जिसे इसके बाद "सप्रवर्तक" कहा गया है (जिस अभियान में, जब तक चाहे या उसके अधीक्षक के विरुद्ध न हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक इति उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशित अभिप्रेत एवं शामिल समझे जाएंगे)

तथा

श्री/ श्रीमती

(आधार संख्या)

PAN

), निवासी

, आयु लगभग

जिसे इसमें इसके बाद "भूमि स्वामी" कहा गया है (भूमि स्वामी के सप्रवर्तक से भिन्न होने की दशा में) जिसने सप्रवर्तक के साथ दिनांक _____ को एक सहयोग अनुबन्ध/ संयुक्त विकास अनुबन्ध किया है अथवा सप्रवर्तक के पक्ष में _____ वर्षों हेतु पट्टा विलेख निष्पादित किया है। (भूमि स्वामी के प्रमाणर से भिन्न होने की दशा में)

के पक्ष में

(यदि आवधी कम्पनी है)

(सीआईएन संख्या _____), कम्पनी अधिनियम, (1956 या 2013, और भी स्थिती) के अधीन निगमित कम्पनी (PAN _____) है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय में है जिसका प्रतिनिधित्व बोर्ड संकल्प दिनांक _____ द्वारा नियित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (आधार संख्या _____) कर रहा है, जिसे इसमें इसके बाद "आवधी" / क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभियान में, जब तक संदर्भ या उसके अधीक्षक के विरुद्ध न हो, उसके इति उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशित अभिप्रेत एवं शामिल समझे जाएंगे)

(या)

(यदि आवधी भागीदार फर्म है)

भारतीय भागीदार अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड भागीदार फर्म (PAN _____), जिसका मुख्य कारोबार स्थान _____ में है, जिसका प्रतिनिधित्व फर्म के संकल्प दिनांकित _____ माध्यम प्राधिकृत इसका भागीदार (आधार संख्या _____) कर रहा है, जिसे इसमें इसके बाद आवधी/ क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभियान में, जब तक संदर्भ या उसके अधीक्षक के विरुद्ध न हो, उसके फर्म के भागीदार या उत्तराधिकारी या उनके उत्तराधिकारी तथा उनके वारिस, निष्पादक तथा अन्तिम उत्तराधिकारी भागीदार के प्रशासक तथा उसके/ उसकी/ उनके समनुदेशित अभिप्रेत एवं शामिल समझे जाएंगे)

(या)

जी/ श्रीमती	(आधार संख्या	PAN
) पत्र/पत्री	आयु/लगभग	निवासी
उसके बाद आवटी/क्रेता कहा गया है (जिस अभियान में जब तक सदमे वा उसके बाद विवाह वा वृद्धि विवाह विषयक प्रशासक इति उत्तराधिकारी तथा उनके सम्बद्धित अधिकृत एवं शामिल समझ नाएँ।)		

(३)

(iii) भाकरी हिन्दू संघर्ष पारिवार/हिन्दू अधिभाजित कटुम्ब (६)

जी	(आधार संख्या	PAN) पत्र श्री
	आयु/लगभग	स्थाय संघर्ष हिन्दू अधिभाजित कटुम्ब के कलो के रूप में है, जिसे इसके बाद जिसका कारीबार का स्थान/निवास में है, जिसे इसके बाद "आवटी/क्रेता" के रूप में निविष्ट किया गया है (जिस अभियान में जब तक सदमे या उसके उनके सम्बद्धित वारिस विषयक प्रशासक एवं उनका उम्मीदार अधिकृत अधिपत एवं शामिल समझ नाएँ।)	
एक ही अधिक आवटी की दशा में कृपया इन्हें (आवटी) के विवरण अन्त स्थापित करें।			

(iv) जिस की तथा एकदलन को प्रदर्शित करने एवं शब्दों से दूसरा लिख तथा बहुवाचन (एवं उन्मुख अधिकृत और शामिल समझ नाएँ।)

चूंकि

सप्रवर्तक/विक्रेता उप-निवाचक	के कार्यालय में दस्तावेज संख्या
दिनांक	जी जिल्ड संख्या
	स्थान पुस्त्र में दर्ज है के रूप में
जिल्ला विकास विभाग (विभाग) दिनांक	द्वारा उहरील
संसाधन विभाग	क्रियात्व संसाधन संख्या
परमना	श्रेणी
परमना (जैव भूमि) का संग्रह वा जैव भूमि है (कृपया स्वामित्र विभाग का अनुसार जैवी के विवरण अन्त स्थापित करें।)	

(५)

जी/ श्रीमती	(संग्रही)	दिनांक	जी
उप-निवाचक	के कार्यालय में दस्तावेज संख्या	दिनांक	जी
उप-संख्या	स्थान पुस्त्र में दर्ज है के रूप में गणित्यते विभाग विभाग		
(विभाग) दिनांक	द्वारा उहरील	परमना	तथा जिला
संसाधन संख्या	कुल छोड़फल	वर्गीकरण ("जैव भूमि") का सम्पूर्ण	

(१०) तथा स्वामी है (कृपया स्थानीय विधियों के अनुसार भूमि के विवरण अन्त स्थापित करें) स्वामी तथा सप्रवतंक ने सहयोग/विकास/सायुक्त विकास करार दिनांक _____ किया है (या भूमि स्वामी ने सप्रवतंक के पक्ष में _____ वर्गों द्वारा पट्टा विलेख दिनांक _____ निष्पादित किया है) जो उप निबन्धक _____ के कार्यालय में दस्तावेज रख्या दिनांक _____ जो जिल्ड संख्या _____ संख्या _____ पृष्ठ _____ में दर्ज है के रूप में रजिस्टर्ड

चूंकि:

क. कथित भूमि (वाणिज्यिक/आवासीय/किसी अन्य प्रयोजन) परियोजना, जिसमें बहुमिला अपार्टमेंट भवन और _____ (परियोजना का कोई अन्य घटक अन्त स्थापित करें) समिलित हैं के प्रयोजन के लिए विनिरिच्छत है तथा कथित परियोजना (परियोजना) के नाम से जानी जायेगी।

ग. कथित भूमि वाणिज्यिक/आवासीय/किसी अन्य प्रयोजन परियोजना के भूखण्ड के विकास प्रयोजन द्वारा विनिरिच्छत है जिसमें भूखण्ड/अपार्टमेंट/मकान/वाणिज्यिक इकाई/दुकान/फ्लैट और _____ (परियोजना में अन्य घटक अन्त स्थापित करें) समिलित हैं, और कथित परियोजना _____ (परियोजना) के नाम से जानी जाएगी।
घ. राष्ट्रवालक/विकेता और/या स्वामी इस विकास (या उपयोग) विलेख को और उक्त भूमि जिस पर परियोजना पूर्ण की जाए है के सम्बन्ध में सप्रवतंक/विकेता के अधिकार एवं और उसे राष्ट्रवालक रामी विधिक औपचारिकताओं को निष्पादित करने के लिए पूर्णतः सक्त है।

म. सामृद्धिक आवासीय मानविक्र/अभिन्यास रेखाक के लिए _____ (कृपया सम्बन्धित संक्षम/विकास प्राधिकारी का नाम अन्त स्थापित करें) ने स्वीकृति दी है।
घ. सप्रवतंक/विकेता ने परियोजना के लिए तथा यथास्थिति अपार्टमेंट/भूखण्ड या भवन के लिए ना _____ (सम्बन्धित संक्षम प्राधिकारी का नाम अन्त स्थापित करें) के अन्तिम अभिन्यास संदर्भ रेखाक भवन योजना, विशेषिता और अनुग्राहन अनुसार नियमों किए हैं। अभिन्यास रेखाक और भवन योजना क्रमशः स्वीकृति संख्या _____ दिनांक _____ तथा संख्या _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

इ. उत्तराखण्ड में सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में सप्रवतंक/विकेता ने मूँ सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम २०१६ के उपकारी के अधीन परियोजना को पंजीकरण किया है। दिनांक _____ द्वारा पंजीकृत कराया है।
ब. आवटी/केंद्रा ने परियोजना में एक अपार्टमेंट/आवास/वाणिज्यिक इकाई/फ्लैट के लिए आवेदन पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के माध्यम से आवेदन किया था और उसे भूखण्ड/अपार्टमेंट/आवास/वाणिज्यिक इकाई/दुकान/फ्लैट, जिसका फैशन बोर्डल _____ वर्ग फीट है और जो टावर/लाई/मवन संख्या _____ में तल पर अवस्थित _____ प्रकार(टाइप) का है और _____ तसे फीट का गोला/अवधारित पार्किंग बोर्ड _____ (कृपया गोला/अवधारित पार्किंग का रूप अन्त स्थापित करें) तथा इसके साथ ही अधिनियम की घास २ के खण्ड (c) के अधीन यथापरिभाषित सामान्य क्षेत्र में यथानुपाती अंश (जिसे यहाँ आगे विशेषकर अनुसूची के म

यह नियंत्रित अपार्टमेंट या इकाई कहा गया है तथा अपार्टमेंट/इकाई की कक्षीयोंजना को
इसके साथ सलग्न तथा अनुसूची ख के रूप में विनिहत किया गया है) आवृत्ति किया गया
है।

या

आवृत्ति ने आवेदन पत्र संख्या दिनांक द्वारा परियोजना में एक भूखण्ड के
लिए आवेदन किया था और उसे भूखण्ड संख्या जिसका दोब्रफल
दर्शक है और दर्शक का गैराज/ आधारित पार्किंग हेतु भूखण्ड (यदि
लागू हो) (गैराज/आधारित पार्किंग खाने अत्यधिकता करें) में और इसके
साथ ही ऑपरेनियम की घास 2 के खण्ड (ट) के अंदर यथापरिभाषित सामान्य क्षेत्र में
घासनुपाती अश (जिसे यहां आगे विस्तृत अनुसूची के में यथावाणित भूखण्ड के रूप में
नामित किया है) आवृत्ति किया गया है

- उपर्युक्त के अनुसरण में विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में उपर्युक्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए
दिनांक को विक्रय का करार निष्पादित किया था। यह विक्रय करार समयके रूप से
उप नियमक के कार्यालय में निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया है और यह
अभिलेख संख्या पर जिल्हे संख्या 1 खण्ड फ़ार से पृष्ठ पर
अंगिलिचित है।
- वृष्टि भूमि वार्षी के लिए पट्टे पर है, विक्रेता ने पलैट/अपार्टमेंट और भूमि को उप
पट्टे पर देने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है।

और चूंकि

उपर्युक्त के अनुसरण में विक्रेता पूर्वीत सम्पत्ति/भूखण्ड/अपार्टमेंट/आवास/वाणिज्यिक
इकाई/दुकान/पलैट जिसका कक्षीय दोब्रफल दर्शक है और जो
प्रकार (टाइप) का है और टावर/ लाई/ भवन संख्या में तले पर
रिखत है जिसका पूरा विवरण इस विलेख के नीचे अनुसूची में दिया गया है, को ला
(क्षमा ग्राम) विवार मूल्य पर विक्रय (उप पट्टा) करने के लिए सहमत है और
क्रेता उसी लाई विवार मूल्य पर काय करने के लिए सहमत है।

अतः अब यह विलेख निम्नानुसार साक्ष्य करता है—

1. यह कि उक्त करार और रु (रुपया मात्र) विवार मूल्य का भुगतान
क्रेता द्वारा विक्रेता को यहां नीचे दिये गये विवरणानुसार कर दिये जाने के क्रम में

कुल धनराशि रु० _____ (रुपये _____ मात्र) की प्राप्ति को विकेता एवंद्वारा स्वीकृता
हो और विकेता एवंद्वारा उक्त सम्पत्ति/मकान/वाणिज्यिक इकाई/दुकान/फ्लैट/
की मात्रा के नीचे की भूमि म अधिभाज्य व अभिन्न समानुपातिक अरा. भवन/परियोजना
के लामान्य क्षेत्रों म समानुपातिक अशा सहित, सभी मार्ति इत्यादि से मुक्त, क्रेता को उसे
सम्पूर्ण रूप से एवं सदैव के लिए (अथवा इस विलेख के साथ सलग्न शर्तों (उपपट) की
अनुलम्ब शर्तों पर) यहाँ के उप पट्टे पर) उक्त सम्पत्ति में तथा पर खुले/आवश्यकित
एवं पार्किंग स्थान अथवा खुले/आवश्यकित कार पार्किंग स्थल का उपयोग करने के
लिए एवं इति विकेता नाम से वर्णित राजिपात्रों सहित और विकेता के
सभी आधिकार एवं इति सुविधावालकर उपयोग इत्यादि के साथ यहाँ वर्णित शर्तों एवं
परिवर्ती पर वस्तुतात्मक अवधारणा और समन्वयशान करता है।

2. ऐतद्वारा विक्रीत सम्पति सभी अधिभारी, भारी, घारणाधिकारी, मागों, अपेक्षाओं, बन्धकों (या तो न्यासगत या अन्यथा), विवादी/वादी, व्यायालरीय और कोई अन्य सम्बद्धो इत्यादि, जो भी हो से सकता है। और इस विकाय हस्तातरण विलेख के हस्ताक्षरित और निष्पादन किये जाने के साथ स्थल पर केता को इसका वार्ताविक रिका और भौतिक कब्जा के दिया गया है।
 3. उक्त सम्पति के सम्बंध में इस विलेख की तारीख तक के सभी कर उपकर, मूलाजर्स और अन्य अधिभार इत्यादि विक्रेता द्वारा भुगतानित किये जायेंगे और उसके पश्चात के भुगतान केता द्वारा भुगतानित किये जायेंगे। तथापि किसी रामेकित मामले में केता अपने हिस्से जी आनुपातिक घनराशि का भुगतान करेगा।
 4. विक्रेता केता के मूल्य पर उक्त सम्पति का हक पूँजी और भौतिक स्फट रूप से सुनिश्चित बनने के लिए तथा इन उपबन्धों के सभ्य भाव तथा अधे अनुसार जैसा धूकित अपेक्षित होना या हो, और उस पर केता का कब्जा एवं स्वामित्व बनाये रखने के लिए इसके उपरान्त ऐसे सभी कृत्य, विलेख और अन्य कार्य करेगा और निष्पादित करेगा, जैसा आवश्यक हो।
 5. किसी मामले में जब केता उक्त सम्पति पर कब्जा ले लेता है और विक्रेता के स्वामित्व में कोई ज्ञात उत्पन्न हासी है तब ऐसे मामले में विक्रेता अपने व्यक्त पर स्वामित्व को टीक करने का कानून दिया है तथा विक्रेता इस प्रकार हुई क्षति की सीमा तक केता की पूरी रूप से प्रतिपूति करेगा।
 6. यह कि विक्रेता ने सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकारी से अधिभाग प्रमाण पत्र/समापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्रतियां केता को हस्तगत करा दी गई हैं।
 7. यह कि विक्रेता ने परियोजना के मीले सम्पूर्ण सामान्य दब्र/सुनिश्चित कर दी है जिस केता ने सम्यक रूप से राखा रखा है।

- 8 यह कि इस विकाय विलेख के फलित कल्पा हस्तमूल करने की तिथि से 05(पाँच) वर्षों की अवधि के भीतर यदि आवंटी/क्रेता द्वारा ऐसे विकास से सम्बन्धित कोई संरचनात्मक त्रुटि या कर्मकोशल मूण्डवत्ता अथवा सेवा के उपकल्पों या विकाय करार के अनुसार सप्रवर्तक/विकेता के किन्हीं अन्य दायित्वों में कोई त्रुटि सप्रवर्तक/विकेता के सज्जन में लाइ जाए। तब सप्रवर्तक/विकेता का यह दायित्व होगा कि वह, बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के तीस दिनों के भीतर ऐसी त्रुटि को दूर करगा और विकेता के ऐसी समयावधि में त्रुटि दूर करने में असफल रहने की दशा में व्यक्ति क्रेता भू सम्पद (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 का उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुरूप गृष्णात्प्रबोधित शैति में समुचित शीतेपूर्ति प्राप्त करने का हपादार होगा।

9. उत्तमान विकाय (या उप पट्टा) विलेख के निष्पादन पर कथित अपार्टमेंट/ इकाई के आव्यादित क्षेत्रफल/क्षेत्रफल पर क्रेता का वानन्द कल्पा हो गया है। क्रेता का भवन/परियोजना में सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविमाज्य अनुपातिक अंश भी होगा। इस प्रकार क्रेता भवन/परियोजना के भीतर स्थित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग अन्य आविलासिया के सम्बन्धस्य में उन्हे बिना किसी असुविधा या बाधा पहुँचाए करेगा। उसीतर भवन/परियोजना के भीतर ऐसे सामान्य क्षेत्र तथा सुविधाओं का उपयोग हमेशा अनुचलण प्रभारों का भुगतान विकेता को, जब तक कि परियोजना के अनुरूप को आवंटियों के सामग्री द्वारा ले नहीं लिया जाता और तदीपरान्त आवंटियों/क्रेताओं के संगम को, समय से करने के अव्यक्ति होगा।

10. क्रेता परियोजना/काम्पलेक्स के भीतर सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं जो भवन के पर्याय के भीतर या बाहर परियोजना/काम्पलेक्स के सभी आविलासियों के सामान्य उपयोग हैं, काण्डाकित हैं को उपयोग करने का हकदार होगा। इस प्रकार क्रेता को परियोजना/काम्पलेक्स में भवन के पर्याय के भीतर या बाहर सामान्य क्षेत्रों तथा सुविधाओं जैसे सामुदायिक केन्द्र, पार्किंग स्थल/विशिष्ट रूप में क्रेता को आवंटित होने के सिवाय सड़क, पार्क, उपर स्थेय गये जल टेक, भूमिगत जल टेक, विद्युत राब स्टेशन, खुले क्षेत्र, प्रदेश, पर्याय हाउस सुरक्षा कमी कही, भवानण क्षेत्र इत्यादि में किसी प्रकार का अधिकार हित या हक प्राप्त नहीं होता जो कि सदैव क्रेताओं/आवंटियों के संगम की सम्पत्ति रहेगी। सामान्य सुविधाओं के उपयोग करने का अधिकार यहां वर्णित उपबन्धों तथा सभी देवी के नियमित भुगतान के अव्यक्ति होगा।

11. यहां अतिरित अपार्टमेंट/इकाई और उसके राश्व सभी और सामान्य सुखाचार अधिकारों की अंतर्कर परियोजना/काम्पलेक्स की सभी अनावंटित/अविभीत इकलौती/प्लैट/भूखण्ड/आवास/वाणिज्यक इकाईयों विकेता की समाति वसी रहेंगी और यह सदैव विकेता के कल्पों में समझी जायगी।

12. क्रेता उसके अपने उपयोग के लिए विशिष्ट रूप से काण्डाकित पार्किंग स्थल को आव्याप्ति नहीं करेगा और उस पर अतिक्रमण या किसी ढाये का निर्माण नहीं करेगा। यह इस प्रकार रामज्ञा जायेगा कि विहित पार्किंग स्थल, यदि आवंटित/विकाय किया गया है तो वह रादैव अपार्टमेंट/इकाई से सम्बद्ध रहेगा और उसे किसी प्रकार से भी अपार्टमेंट/इकाई के अलग आवंटित नहीं किया जायेगा। तब कभी अपार्टमेंट/इकाई को किसी रेति से अतिरित किया जायेगा।

जाता है तो उसके साथ ही पिटिं पार्किंग स्पैल के उपयोग करने का अधिकार का भी अतरण अनन्य रूप से शामिल होगा। क्रेता सभी समयों पर कथित अपार्टमेन्ट/इकाइ से सम्बन्धित और लामू उपरोक्त सन्दर्भोंमें इस विक्रय विलेख और आवंटन अनुबंध एवं साथ ही विक्रय करार में उल्लिखित तभी शर्तें और नियन्धनों का पालन करेगा।

13. परियोजना/काम्पलेक्स के अनुस्थान तथा इसके रख रखाव के लिए विक्रेता अथवा आवटियों के लाग या अपार्टमेंट/इकाई के स्वामियों के किसी समर्थन के साथ अनुरक्षण अनुबंध करने के लिए क्रेता सहमत है।

14. अनुरक्षण देयकर्ते तथा अन्य प्रभारी का शीघ्रता से भुगतान करने हेतु सुरक्षा राशि के रूप में व्याज मुक्त अनुरक्षण सुरक्षा (IFMS) का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता अथवा क्रेताओं/आवटियों के समग्र जैसी भी स्थिति हो, को देय होगा। व्याज मुक्त अनुरक्षण सुरक्षा के रूप में जमा की जाने वाली राशि विक्रेता अथवा क्रेताओं/आवटियों के समग्र जैसी भी स्थिति हो, को द्वारा क्रेताओं को राखित की जायेगी तथा इसे समय समय पर सशोधित किया जा सकेगा। क्रेता अनुरक्षण प्रभारी का, इस हेतु अनुरक्षण करार की शर्ती और दिये गये देयकों के अनुसार सम्यान्तर्गत भुगतान करने के लिए सहमत है।

15. आवासीय कल्याण संगठन को पूर्ण परियोजना हस्तांतरित कर दिये जाने की तारीख तक, काम्पलेक्स में विभिन्न सामान्य सेवाओं और सुविधाओं (इकाईयों के आतंरिक अनुस्थान को छोड़कर) के रख रखाव और अनुरक्षण करने के लिए विक्रेता द्वारा यथा निर्धारित अनुरक्षण प्रभारी को क्रेता भुगतान करेगा। तत्पश्चात भुगतान हेतु देय अनुरक्षण तथा विद्युत प्रभारी को घटाते हुए यथा व्याज मुक्त अनुरक्षण सुरक्षा को विक्रेता, आवासीय कल्याण संगठन को कथित भवन / काम्पलेक्स के अनुरक्षण हेतु अंतरित करेगा।

16. क्रेता एवंद्वारा हस्तान्तरित अपार्टमेंट/इकाई के कारपेट सेत्र तथा पार्किंग स्थल के फर्श सेत्र के अनुपात में नगर पालिका दरों, करों, सेवा प्रभारों तथा अन्य साधिकारों या सरकारी अपेक्षाओं के भुगतान से सम्बंधित घनराशि का भुगतान करने और अंश बहन करने का दायी होगा और परिवर्तितीय के अनुसार क्रेता द्वारा यथाअपेक्षा साधिकारी को साधिकार देयों का सीधे भुगतान किया जा सकेगा अथवा यदि आवासीय कल्याण संगठन कार्यरत है और उसने प्रक्र किया है तो ऐसे साधिकार देयों का भुगतान कथित प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जा सकेगा।

17. क्रेता को कथित सम्पत्ति का पूर्ण मालिकाना अधिकार होगा और वह उसे अंतरित, बच्चों पट्टा, उपहार करने या अन्य तरीके से व्यवहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। परन्तु वह कि क्रेता को भूमि अपार्टमेंट/इकाई और/अथवा पार्किंग स्थल की घस्त करने/क्षति कारित करने या बेकार करने का या कथित अपार्टमेंट/इकाई और/या पार्किंग स्थल में कुछ भी करने की अनुमति देने का हक नहीं होगा जो कथित भवन के अन्य अधिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। क्रेता का नगर निगम/राजस्व विभाग के अभिलेखों में उक्त सम्पत्ति/अपार्टमेंट का अपने नाम पर नामान्तरण करने का हक होगा।

18. गणना करने के प्रयोजन के लिए कुल सेत्रफल से दो अपार्टमेंटों के मध्य सामूहिक दीवारों के होत्रफल का आधा, अन्य दीवारों, रत्नमों तथा प्रक्षेपणों, बाल्कर्गी, कप बोर्ड का पूर्ण

क्षेत्रफल और सामान्य क्षेत्रों यथा उक्त भवन के प्रक्षेपण, कॉरीडोर, रास्तों, लिफ्ट के लिए स्थल, सीढ़ियों, प्रवेश लौटी, बेरसेट और अन्य सामान्य क्षेत्रों तथा सुविधाओं में आनुपातिक अशा को समिलित करते हुए आच्छादित क्षेत्रफल अभिप्रेत है।

19. क्रेता को परियोजना/काम्पलैक्स में भवन के नीचे की भूमि में उसके अभिभाज्य अशा के विभाजन का दावा करने का हक नहीं होगा क्योंकि वह सदैव अभिभाज्य, अप्रथव्य तथा गेर चिन्हांकित रहेगी। परन्तु भवन, ब्लाक या उसके किसी भाग के स्थल पर नहीं रहने की दशा में सभी अपार्टमेंटों/इकाइयों के कुल कर्फ्स क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता का नीचे की भूमि में आनुपातिक अशा होगा।
20. विक्रेता यह घब्बन देता है कि वह यहां पूर्व में वर्णित प्रासारिक हक (या पटटा) विलेखों की प्रमाणित प्रति भवन/परियोजना के अपार्टमेंट स्वामियों के संगठन/आवासीय कल्याण संगठन को, जब कभी वह गठित हो जाय, हस्तगत करायेगा और उसकी प्रबंध समिति इन हक विलेखों की प्रतियां, किसी अपार्टमेंट/इकाइ स्वामी को अथवा किसी प्राधिकारी को विरोक्षण के लिए और जहाँ आवश्यकता हो, उपलब्ध कराने के लिए न्यासी के रूप में रखेगी, किन्तु न्यासी इन हक विलेखों से अपने को अलग नहीं करेंगे।
21. कथित सम्पत्ति या भवन में आपात स्थिति उत्पन्न होने अथवा उसको खतरा होने की दशा में प्रबंधन समिति या निवासी कल्याण संगठन को किसी अधिकारी या विक्रेता के नामितों को, कथित अपार्टमेंट (ईकाइ) तथा उसके सम्बन्ध अपार्टमेंट (ईकाइ) और/या भवन की सुरक्षा, संरक्षण तथा अनुरक्षण के हित में स्वयं को तुरन्त समुचित कदम उठाने के लिए सक्षम करने हेतु कथित अपार्टमेंट/ईकाइ में प्रविष्ट होने का अधिकार होगा।
22. क्रेता ने उस भूमि, जिस पर सामूहिक आवासीय परियोजना के भाग के रूप में अपार्टमेंट/ईकाइ निर्मित है, में विक्रेता के हित तथा हक के सम्बन्ध में स्वयं को सन्तुष्ट कर लिया है और उसके सम्बन्ध में सभी सीमाओं-और बाध्यताओं को समझ लिया है।
23. क्रेता उक्त अपार्टमेंट (ईकाइ) की किन्हीं दीवारों, जिसमें भार वहन करने वाली दीवारें समिलित हैं, को नहीं हटाएगा और उसकी सभी दीवारें/संरचनाएँ क्रेता और साथ लग हुए अपार्टमेंट (ईकाइयों) के स्वामियों के मध्य सामूहिक रहेगी। अतिरिक्त क्रेता न तो स्वयं ऐसा कुछ करेगा और न ऐसी अनुमति देगा जिससे साथ लगे अपार्टमेंट/ईकाइ इत्यादि के किसी भाग को छाति पहुँचे।
24. क्रेता किसी भी प्रकार से किसी भी सामान्य क्षेत्र, सीमित उपयोग क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही उसे उन सुविधाओं या सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा जिनका उपयोग करने की विशिष्ट रूप से अनुमति न हो। कथित अपार्टमेंट (ईकाइ), कथित परियोजना या धूले पार्किंग स्थल में क्रेताओं द्वारा किये गये सभी अनधिकृत अतिक्रमण अथवा किये गये अस्थाई/स्थाई निमोन उसके व्यय पर विक्रेता और/या विक्रेता के नामितों या निवासी कल्याण संगठन द्वारा हटा दिये जायेंगे।
25. उक्त भवन को लिफ्ट, पम्प हाउस, जनरेटर इत्यादि सहित अग्नि, भूकम्प या नामरिक उपद्रव के विरुद्ध विक्रेता द्वारा क्रेता के व्यय पर बीमित किया जाएगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि बीमा

के उद्देश्य के लिए प्रक्रिया या उसके नामिती या निवासी कल्याण संगठन द्वारा किए गए तथा को अपार्टमेंट (इकाई) के सभी अधिवासी आनुपातिक रूप से भुगतान करें एवं उसका नियमित भुगतान करते रहें। क्रेता ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी मृत्यु को करने के लिए अनुमति देगा जिससे किसी बीमा की शर्तें शून्य अथवा शून्य घोष्य हो जायें या जिससे उसकी किश्त बढ़ जायें। ऐसे प्रभार पूर्व भुगतानित बिजली आपूर्ति मीटर पद्धति के साथ समर्कित किये जा सकते हैं या उनका दावा अतिरिक्त रूप से किया जा सकता है।

26. क्रेता उक्त अपार्टमेंट (इकाई) में रखी रामबी कह बीमा अपने मूल्य और खर्च पर करेगा।
27. यह कि क्रेता कथित काम्पलेक्स में उपलब्ध सामुदायिक केन्द्र/क्लब की सदरयता के लिए अहं है और सुविधाकेन्द्र के विनियमों के रखी नियमों, शर्तों एवं निवेशनों का पालन करेगा और वह विक्रेता/निवासी कल्याण संगठन को ऐसे प्रभारों का जो ऐसी सेवाओं के लिए मामे जायें भुगतान करने का दायी होगा।
28. क्रेता कथित अपार्टमेंट (इकाई) / सम्पत्ति का उपयोग गैर कानूनी या अनेतिक उद्देश्य के लिए अथवा किन्हीं जलनशील या खरलनाक वस्तुओं रामबीयों अथवा वीजों के भण्डारण कोई वस्तु नहीं लाएगा और कथित सम्पत्ति/अपार्टमेंट (इकाई) या भवन में किसी भी प्रकृति की तथा ऊपर की मजिलों में भारी फैकेजों को नहीं ले जायेगा या ले जाने देगा जिससे भवन की सीढियाँ, रामूहिक रास्तों या किसी ढांचे या भवन के किसी भाग को क्षति पहुंच। क्रेता इस सम्बन्ध में किसी क्षति और/या हानि के लिए विक्रेता/उसकी नामित एजेन्सी या निवासी कल्याण सम्गठन को सदैव हानिरहित और छातिपूरित रखेगा।
29. विक्रेता/या आवासीय कल्याण संगठन के पूर्व लिखित अनुमोदन से क्रेता अपार्टमेंट (इकाई) में लघु आतंरिक परिवर्तन करा सकेगा।
30. क्रेता भवन की सुरक्षा, स्थायित्व तथा दीर्घ अवधि अनुरक्षण को कड़ाई से अपनाएगा और सुनिश्चित करेगा।
31. जब कभी क्रेता उक्त अपार्टमेंट/इकाई को पटटे पर या किसी जो देगा अथवा किसी चाड़ी/नीकर को रखेगा तो क्रेता स्थानीय पुलिस प्राधिकारी से उसका सत्यापन करायेगा और उसकी प्रति विक्रेता/आवासीय कल्याण संगठन/ विक्रेता के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेगा।
32. यदि किसी मामले में क्रेता उक्त अपार्टमेंट/इकाई को पटटे पर देता है तो वह विक्रेता/आवासीय कल्याण संगठन को किसायेदार के सभी विवरण प्रस्तुत करेगा। क्रेता उसके किसायेदार के सभी कृत्य एवं बूक के लिए उत्तरदायी होगा।
33. इस विलेख के पश्चात् क्रेता को विक्रेता/उसकी नामित एजेन्सी या आवासीय कल्याण सम्गठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जिन फ्लैट/इकाई में अपने अधिकार तक या हित का समनुदेशन और अंतरण/विक्रय करने का अधिकार होगा।
34. यह कि दोनों पक्षकार (यहा क्रेता और विक्रेता) इस बात से सहमत हैं कि यथा लागू कोई शर्त/शर्त जो इस विलेख में उल्लिखित नहीं है किन्तु विक्रय के लिए करार दिनाक

में उल्लिखित है, वे इस विक्रय विलेख के अभिन्न अंग होंगे और यथास्थिति पक्ष/पक्षी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उनका पालन किया जायेगा।

35. क्रता और विक्रीता दोनों भू सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, उत्तराखण्ड में सम्पदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2017 तथा उत्तराखण्ड भू सम्पदा नियमका प्रधिकरण (सामान्य) विनियम, 2021 के प्रविधानों का पालन करेंगे।
36. चूंकि परियोजना भूमि सप्रवर्तक के नाम पर घरों के पट्टे पर है और पट्टा अवधि प्रत्येक बार घरों के लिए बार नवीनीकरणीय है और/अथवा क्रेता(गण) तथा आवटियों अथवा क्रेताओं का रागम इस हस्तातरण विलेख के माल्यम से अधेतर प्रत्येक बार घरों के लिए बार पट्टा अवधि को नवीनीकृत कराने का अधिकार अंजित करते हैं और पट्टेदार को पट्टा किसाये तथा अन्य भुगतान किये जाने योग्य देयों का भुगतान करने के दायी होंगे। तथापि पट्टे की मूल पट्टा किश्त (प्रेसियम) तथा पहुंच की प्रथम घरों की अवधि का पट्टा किसाया सप्रवर्तक द्वारा पूर्ण रूप से भुगतानित कर दिया गया है।

उप निबंधककार्यालय के लिए विवरण:

- (एक) यह कि एतद्वारा विक्रीत/उपपट्टा की गई सम्पति बीड़ी सड़क पर से दूरी पर अवस्थित है।
- (दो) यह कि संरचना नव निर्मित है।
- (तीन) यह कि यहाँ विक्रीत की जा रही सम्पति नगर निगम/ नगर पालिका में अवस्थित है / नहीं है, और यह उत्तराखण्ड (उपरोक्त) जमीदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 के उपकारी का उल्लंघन नहीं करता है।
- (चार) सार्केल रेट अनुसार उपर्युक्त अपार्टमेंट/इकाई के मूल्याकन के लिए आकलित अनुराशि का आगणन निम्नवत किया गया है—
- क— उक्त अपार्टमेंट/ इकाई के कुल क्षेत्र का मूल्याकन—
 वर्गमीटर क्र.0 प्रतिवर्गमीटर की दर से रु.0.
- (जोहे) प्रतिशत (सड़क की दौड़ाई के लिए) रु.0.
- सार्केल रेट के अनुसार फ्लैट/ इकाई का कुल मूल्याकन रूपया आता है और विक्रय मूल्य रूपया है।
- उक्त पर निम्नवत स्थान्य डियूटी भुगतानित की गयी है—

करार दिनांक के समय मुगलान की गयी स्टाम्प ड्यूटी रु0
देय स्टाम्प ड्यूटी रु0

इ स्टाम्प साईफिकेट सख्ता दिनांक माध्यम

अनुसूची

अनुसूची क— विक्रीत इकाई का फर्श क्षेत्रफल एवं चौहड़ी सहित विवरण

अनुसूची त्र— इकाई की कर्श प्रौजन

(सलग्न नवशे में स्पष्ट रूप से दर्शित)

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32-क की अनुपालना

साक्षियों की उपस्थिति में जपानी लिखित दिवस, मास और वर्ष में इस प्रिलेख को क्रेता तथा विक्रीता द्वारा निष्पादित किया गया एवं इसमें साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

विक्रीता क्रेता
साक्षी
सख्ता सख्ता 1

साक्षी सख्ता 2

वास्तुविद के प्रमाण पत्र का आलेख

(विनियम ६ देखें)

(अभिहित खाता से धनराशि के आहरण के लिए)

परियोजना का नाम:

मृ. सम्पदा नियामक प्राधिकरण पंजीकरण सख्ती:

परियोजना का पता:

संप्रवर्तक का नाम:

पता:

विषय खसरा/मूख्यण्ड सख्ती (भूमि विवरण तथा स्थान) माप वर्ग
मीटर में अवस्थित है। (संप्रवर्तक का नाम) द्वारा विकसित की जा रही
परियोजना (परियोजना का नाम) के निर्माण कार्य की पूर्णता के प्रतिशत का प्रमाण पत्र।

शहर/गांव परगना तहसील जिला के खसरा/मूख्यण्ड
सख्ती जिसकी माप वर्ग मीटर है, में अवस्थित (परियोजना का
नाम) परियोजना के निर्माण कार्य की पूर्णता के प्रतिशत को प्रमाणित करने के लिए
मैं/हमने वास्तुविद के रूप में कार्य लिया है। इसके निरीक्षण और गौतिक सत्यापन के
आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की प्रत्येक गतिविधि के सम्बन्ध में
निष्पादित किये गये कार्य के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट के में है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रमाण पत्र की तारीख को उपयुक्त
मृ. सम्पदा परियोजना के सम्बन्ध में किये गये कार्य का प्रतिशत है।

वास्तुविद का नाम एवं हस्ताक्षर

(रो. ५.५ रजिस्ट्रेशन सख्ती)

दिनांक:

स्थान:

फोन नम्बर:

ईमेल आई डी:

पता:

(क) कार्यालय का पता:-

(ख) आवासीय पता:-

परिशिष्ट -क

परियोजना का नाम:

पता:

मु समवा नियामक प्राचिकरण पजीकरण संस्था
सप्रबलक का नाम:

पता:

क्र. सं.	विवरण	समापन का प्रतिशत
1	स्थल विकास तथा बहारदीवारी निर्माण (सड़क, नाली, एसटीपी, आर ब्लू एवं टी (रेन चाटर हार्डवरिटम) मूनिमाण इत्यादि)	%
2	स्थल कार्यालय तथा विपणन कार्यालय का निर्माण	%
3	खुदाई	%
4	बुनियाद तथा पीसीसी	%
5	हितीय भूतल	%
6	पात्रम भूतल	%
7	भूतल / सिल्ट पार्किंग	%
8	उपरी भूतल	%
9	पहली मंजिल	%
10	दूसरी मंजिल	%
11	तीसरी मंजिल	%
12	चारी मंजिल	%
13	पाचवी मंजिल	%
14	छठी मंजिल	%
15	सातवी मंजिल	%
16	आठवी मंजिल	%
17	नवी मंजिल	%
18	दरावी मंजिल	%
19	ईट कार्य	%
20	प्लास्टर कार्य	%

21	एमटूपी (मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग)	%
22	सामान्य कोर्न / सामान्य सुविधाएं	%
	कुल पूरी कार्य	%

टिप्पणी: स्टेट्स पार्किंग की दशा में, मृतल और ऊपरी भूतल लागू नहीं होंगे।

वास्तुविद का नाम एवं हस्ताक्षर
(सी ए ए रजिस्ट्रेशन संख्या.....)
दिनांक
स्थान

(अभिहित खाता से आहरण के प्रयोजनाथ)

परियोजना का नाम:

मू. सम्पदा नियामक प्राधिकरण पंजीकरण सरखा।

परियोजना का पता:

सप्रवर्तक का नाम:

पता:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित मू. सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत और उस पर हुए वास्तविक व्यय को प्रमाणित करने का कार्य मैंने / हमने लिया है।

1- हमने परियोजना के भवन(नो) के सिविल, एमईपी और सहबद्ध कार्यों की पूर्णता की लागत का अंकलन किया है। हमारी अनुमानित लागत गणनाएं सप्रवर्तक और परामर्शदाताओं द्वारा सदमे के अधीन परियोजना के लिए हमें उपलब्ध कराये गये आरेख/गोला पर और सप्रवर्तक द्वारा नियुक्त मात्रा संवेदन द्वारा आमणित सम्पूर्ण कार्य के लिए मदों की अनुसूची तथा मात्रा/सप्रवर्तक द्वारा दिये गये विवरण एवं हमारे द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण पर आधारित हैं।

2- मूर्म लागत, सन्निमाण की लागत और सामान्य क्षेत्र तथा सुविधाओं के विकास की लागत सहित हमने सदमे के अधीन परियोजना को पूर्ण करने के लिए कुल अनुमानित लागत की गणना की है जो ₹0..... है। परियोजना की अनुमानित कुल लागत सम्बन्धित सहम प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त वर्णित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, से भवन(नो) के लिए अधिनोग प्रमाण पत्र/समाप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्ण किये जाने वाले अपेक्षित सिविल, एमईपी और सहबद्ध कार्यों के सदमे में हैं।

3- हमने स्थल का निरीक्षण किया है तथा भौतिक सत्यापन करने पर हम प्रमाणित करते हैं कि आतीषी तक परियोजना पर कुल ₹0..... वास्तविक व्यय हुआ है।

4- आतीषी तक किये गये कार्यकाम्हुल मूल्य प्रतिशत में प्रतिशत है।

अभियंता के हस्ताक्षर

नाम:

(लाइसेंस नंबर.....)

प्रश्नावली

प्रश्नावली

प्रश्नावली - नम्बर

कुमेल आई डी

पता:

(a) कार्यालय का पता:

(b) आवासीय पता:-

अनुलेखक ५

वार्टर एकाउंटेंट प्रमाण पत्र का आलेख

(विनियम ६ देखें)

जो कोई भी इससे सम्बंधित है उसके लिए

मैं^{१०} (सप्रवर्तक का नाम) के प्रबंधन द्वारा (परियोजना का नाम) जिसकी मूल सम्पदा नियामक प्राधिकरण पंजीकरण सख्ता है, के सम्बन्ध में हमारे रामल प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों के आधार पर हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि सप्रवर्तक (मैं^{१०}) अभिहित खाता से ₹० आहरित करने के लिए अड़ है। विवरण निम्नलिखत है:-

क्र.सं.	विवरण	विवरण
१	परियोजना की कुल अनुमानित लागत (अभियता प्रमाण पत्र के अनुसार)	
२	(a) सान्निध्य कार्य की पूर्णता का प्रतिशत (क) अभियता प्रमाण पत्र के अनुसार (ख) वास्तुविद प्रमाण पत्र के अनुसार, (जो भी कम हो)	
३	आवारियों से अद्यतन प्राप्त कुल घनराशि	
४	पाकिया (३) का ७० प्रतिशत	
५	आतिथे आहरण के लिए जहाँ कुल घनराशि (१×२)	
६	पूर्व में आहरित की गई घनराशि	
७	आहरण के लिए उपलब्ध अवशेष घनराशि (५-६)	

मूल सम्पदा नियामक प्राधिकरण की अनुमालना भान के लिए मैं सारे के विशेष अनुसूच पर यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

नाम:

क्ष. च. झ. एण्ड क० के लिए

स्थान:

FRN :

दिनांक:

वार्टर एकाउंटेंट

(ठिन नम्बर:

(साझीदार/मालिक)

इमेल आई.डी:

(M No.)

पता:

(क) कार्यालय का पता:-

(म) आवासीय पता:-

वास्तुविद का प्रमाण पत्र

(प्रत्येक भवन/भाग के पूर्ण होने पर जारी किये जाने वाला)

सेवा में

(साप्रवर्तक का नाम और पता)

विषय में (साप्रवर्तक का नाम) द्वारा गाव/शहर प्रगति तहसील
जिला के खसरा/भूखण्ड सख्ता माप वर्ग मीटर में
अवस्थित उल्लंशित मृत सम्पदा नियमक प्राधिकरण के पश्चीकरण सख्ता से
युक्त विकसित की जा रही (परियोजना का नाम) के भवन/भवन के
भाग के सन्निमाण कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र।

महादेव

गाव/शहर तहसील जिला के भूखण्ड/खसरा नम्बर
माप वर्ग मीटर में अवस्थित (साप्रवर्तक का नाम) द्वारा विकसित
की जा रही (परियोजना का नाम) के भवन/भवन का भाग के
सन्निमाण कार्य की पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए मैंने हमने वास्तुविद के रूप में कार्य
लिया है।

2. खाल पर निरीक्षण तथा भौतिक सत्यापन और सरबना अभियंता से पापा पूर्णता
प्रमाण पत्र के आधार पर तथा मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार मैं हम
एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि परियोजना (परियोजना का नाम) के
भवन/भवन का भाग को मज़बूर सख्ताओं तथा आरेखणों/सरबना आरेखणों/
विशेषितों के अनुसार सभी पहलुओं में पूर्ण कर लिया गया है और यह जिस प्रयोजन के
लिए बनाया गया है/पुन बनाया गया है/निमित किया गया है और विस्तृत किया गया
है उसके ही अधिभोग के लिए उपयुक्त है।

महादेव

वास्तुविद के हस्ताक्षर और बड़े अकारों में नाम

(अनुज्ञा सख्ता)

दिनांक

स्थान

फोन नम्बर

ईमेल आई डी

पता:

- (क) कार्यालय का पता—
- (व) आवासीय पता—

सेवा में

(सप्रदाता का नाम और पता)

विषय (परियोजना का नाम) के सन्निर्माण कार्य की पूर्णता का प्रमाण
पत्र।

मैं इस पर निश्चिह्न तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार मैं/ हम यह प्रमाणित करते हैं कि परियोजना (परियोजना का नाम) का..... भवन/ भवन का भाग..... मंजूर रखाक तथा आरेखणों/ सरचना आरेखणों, विशिष्टियों इत्यादि के अनुसार सभी पहलुओं में पूर्ण हो गया है और जिस प्रयोजन के लिए यह बनाया/ पुन बनाया/ निर्मित किया गया और विस्तारित किया गया है उसके हेतु अधिभोग के लिए उपयुक्त है।

मतदीय,

हस्ताक्षर

अभियंता का नाम

(अनुज्ञा संख्या)

दिनांक:

स्थान:

फार्म नम्बर:

इंगेल आई डी:

पता:

(क) कायोलय का पता:-

(छ) आवासीय पता:-

अनुलम्नक 8

(विनियम 7 देखें)

सहयोग अनुबन्ध/ संयुक्त विकास अनुबन्ध/ संयुक्त उद्यम अनुबन्ध

सहयोग अनुबन्ध/ संयुक्त विकास अनुबन्ध/ संयुक्त उद्यम अनुबन्ध का यह विलेख आज.....
के दिनाक वर्ष को पर

(1) श्री/ श्रीमती/ सुश्री पुत्र श्री या पुत्री श्री या पत्नी श्री
आयु वर्ष पता

(2) श्री/ श्रीमती/ सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु.....वर्ष.....
पता

जिसे इसके पश्चात मू-स्वामी संदर्भित किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय
अथवा सन्दर्भ से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी प्रशासक तथा अनुदेशिती अभिप्रेत
और सम्मिलित हैं। प्रथम पक्ष

या

मेरासंकम्पनी अधिनियमके अधीन पंजीकृत एक
कम्पनी/ या अधिनियम के अधीन स्थापित एवं पंजीकृत साझेदारी फर्म/ या
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी है, जिसका
पंजीकृत कार्यालय स्थान पर/ कौरेपॉरेट कार्यालय स्थान
पर या प्रधान कार्यालय पर अवस्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व
कम्पनी/ फर्म/ सोसाइटी द्वारा उसके निर्णय/ पारित प्रस्ताव सख्ता दिनाक
द्वारा प्राधिकृत श्री/ श्रीमती पुत्र/पत्नी/पुत्री आयु वर्ष निवासी
कर रहा है, जिसे यहाँ इसके पश्चात मू-स्वामी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक
विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा अनुदेशिती अभिप्रेत
और सम्मिलित हैं। प्रथम पक्ष

तथा

1. श्री/ श्रीमती/ सुश्री पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु
निवासी

2. श्री/ श्रीमती/ सुश्री पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु
निवासी

(जिसे यहाँ इसके पश्चात संप्रवर्तक/ विकासकर्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में
जब तक विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा
अनुदेशिती अभिप्रेत और सम्मिलित हैं), द्वितीय पक्ष

मैसर्स कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय में तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में है/या अधिनियम के अधीन स्थापित और पंजीकृत एक साझेदारी कम्पनी है/या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन स्थापित और पंजीकृत एक है/या सोसाइटी है जिसका प्रधान कार्यालय स्थान पर सोसाइटी है/या सोसाइटी है जिसके निर्णय/प्रस्ताव दिनांक है/या कम्पनी/फर्म/सोसाइटी हारा उसके निर्णय/प्रस्ताव दिनाक हारा स्थान पर सुनिश्चित निदेशक/साझेदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्रगा पत्नी या पुत्री श्री आयु वर्ष निवासी के माध्यम (जिसे यहाँ इसके पश्चात संप्रवर्तक/विकासकर्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या सदमें के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा अनुदाशिती अभिव्यक्ति और समिलित है), द्वितीय पक्ष

क मध्य किया गया ४			
परमना	तहसील	जिला	
चूंकि मू—स्वामी ग्राम/शहर में अवस्थित खसरा संख्या..... हेटेजर (..... वर्ग मीटर) भूमि (जिसे यहा आगे उक्त भूमि कहा गया है) के विधिक, वैध, और वास्तविक स्वामी एवं दखल क्षेत्रों में काबिज है और भूमि को परियोजना में विकसित किये जाने वाले भूखण्डों/भवनों/अपार्टमेन्टों/पलैटो/इकाइयों को बेचने के आशय से एक मू—सम्पदा परियोजना में विकसित करने की इच्छा रखते हैं। और चूंकि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु वर्ष निवारी	परमना	तहसील	जिला

मेसर्स कम्पनी अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत अधिनियम के अधीन स्थापित और पंजीकृत एक साझेदारी फर्म/या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी या अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक सहकारी समिति जिसका प्रतिनिधित्व कम्पनी/फर्म/सोसाइटी द्वारा उसके नियन्य/प्रस्ताव संस्था दिनांक द्वारा प्राधिकृत श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र पत्नी या पुत्री श्री आयु वर्ष निवासी कर रहा है (जिसे यहा इसके पश्चात विकासकर्ता/सम्प्रवर्तक कहा गया है), भूखालियों की भूमि को परियोजना में विकसित किये जाने वाले भूखण्डों/भवनों/अपार्टमेन्टों/फलेटों/इकाईयों को बेचने के आशय से एक भू-सम्पदा परियोजना में विकसित करने की इच्छा रखते हैं। और चूंकि भू स्वामी(यो)/विकासकर्ता(ओ) ने विकासकर्ता(ओ)/भू स्वामियों से भूमि को एक गुरुसम्पदा परियोजना में इस प्रकार विकसित भूखण्डों/परियोजना में विकसित

आपटमेन्टों/प्लटों/इकाईयों को आशयित(भावी) क्रेताओं को विक्रय करने के आशय से विकसित करने के लिए सम्पर्क किया है।

और चूंकि मूँस्थामी तथा विकासकर्ता भूमि को एक भू-राष्ट्रदा परियोजना में विकसित करने और परियोजना में विकसित/सन्निर्मित इकाईयों को आशयित(भावी) क्रेताओं को विक्रय करने के लिए यहाँ इसके पश्चात् उल्लिखित शब्दों एवं निर्वचनों पर संयुक्त रूप से सहमत हैं।

अतः अब यह सहयोग अनुबन्ध/संयुक्त विकास अनुबन्ध/..... निम्नवत् साक्षी है-

1. यह कि उपर्युक्त भूमि पर परियोजना का सम्पूर्ण विकास और सन्निर्माण विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर पूर्णतः किया जायेगा।
2. यह कि विकासकर्ता, परियोजना को और साथ ही परियोजना में विकसित और सन्निर्मित इकाईयों का विज्ञापन और विक्रय करेगा। विकासकर्ता आशयित क्रेताओं से घन संग्रहीत करेगा, उन्हें आवटन पत्र जारी करेगा, आवटियों/क्रेताओं के पक्ष में विक्रय के लिए अनुबन्ध निष्पादित करेगा और परियोजना में विकसित इकाईयों का क्षमा हस्तमत करेगा।
3. यह कि मूँस्थामी(यों) को विकासकर्ता द्वारा भूमि का मूल्य और उसके ऊपर विकासकर्ता द्वारा क्रेताओं को विक्रय किये गये प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य का 10 प्रतेशत का भुगतान किया जायेगा। यह कि भुगतान किया जाने वाला भूमि का मूल्य रु० (रूपया शब्दों में मात्र) है। यह कि रु० मूमि के मूल्य के रूप में भूस्थामी(यों) द्वारा विकासकर्ता से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और शेष धनराशि का विकासकर्ता द्वारा भूस्थामी (यों) को इस अनुबन्ध की तारीख से माहों के भीतर भुगतान किया जायेगा।

या

यह कि भूस्थामी (यों) को भूमि के मूल्य के रूप में रु० (रूपया मात्र) का भुगतान किया जाएगा और भूमि के मूल्य के अतिरिक्त भूस्थामी(यों) को प्रत्येक भूखण्ड/प्लैट, मकान या इकाई के विक्रय मूल्य का % भुगतान किया जायेगा।

ग

यह कि भूस्थामी (यों) को भूमि के मूल्य के रूप में रु० (रूपया मात्र) भुगतान किया जायेगा और भूमि के मूल्य के अतिरिक्त पूर्णतः विकसित/पूर्णतः निर्मित प्लैट/भूखण्ड/मकान या इकाईयों दी जाएगी।

4. यह कि परियोजना के लिए अभिन्यास/मानविक मूर्खामी(यो) / विकासकर्ता(ओ) के नाम से पूर्व में हैं..... (सक्षम प्राधिकारी का नाम) द्वारा पत्र/पत्रावली संख्या दिनांक द्वारा जारी कर दिया गया है या यह कि मूर्खामी/विकासकर्ता परियोजना के लिए अभिन्यास/मानविक की (सक्षम प्राधिकारी का नाम) से स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा और उसके समर्त व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे। अभिन्यास/मानविक की स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्रवाई भी विकासकर्ता करेगा।
5. यह कि अन्य सभी अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृतिया/अनापत्तिया विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी और यदि कोई अनुमोदन मूर्खामी द्वारा प्राप्त किये जाने हैं तो उससे सम्बन्धित व्यय समर्त अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के साथ विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
6. यह कि अपने सम्बन्धित आय पर आधकर दायित्व या पैज़ी लाभ कर इत्यादि लागू कानूनों के अनुसार क्रमशः मूर्खामी तथा विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
7. यह कि मूर्खामी यह वचन देता(ते) है/है कि उक्त भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट और विपणन योग्य तथा विकासकर्ता के अधिकारी के पक्ष में स्वामित्व/हस्तान्तरण विलेखी के निष्पादन एवं रजिस्ट्रेशन होने की तिथि तक, इस अनुबन्ध के जारी रहने के दौरान सभी प्रकार के भारा, अधिभार, पूर्व अनुबन्धों और दावों से मुक्त करेगा और रखेगा।
8. यह कि मूर्खामी इस अनुबन्ध के माध्यम से विकासकर्ता को या इस सम्बन्ध मेंअपने प्राधिकृत हस्ताक्षरी को कथित भूमि में विकासित की जाने वाली भूसम्पदा परियोजना का पञ्चीकरण मूर्खामी (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन उत्तराखण्ड मूर्खामी सम्पदा नियामक प्राधिकरण में करने हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है।
9. यह कि मूर्खामी सहमत है/है कि मूर्खामी परियोजना के विकास के लिए विकासकर्ता को भूमि का कब्जा हस्तगत किया जा रहा है।
10. यह कि परियोजना के तौर पर विकास और कुशल समापन के लिए मूर्खामी सभी भारों से मुक्त और पूर्ण अधिकार सहित उक्त भूमि को उपलब्ध करायेगा/करायेंगे। नीचे विन्दु 10.1 से 10.4 में उपबन्धित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन विकासकर्ता द्वारा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से छठे प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- 10.1) यह कि वित्तीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी प्रकार की सुरक्षा का (याहे वह प्राथमिक हो या द्वितीयक) विकासकर्ता (ओ)द्वारा प्रबन्ध किया जायेगा। मूर्खामी अपनी ओर से एतदद्वारा वचन देता है कि वह परियोजना के विकास कार्ये जैसा इस अनुबन्ध में परिकल्पित किया गया है, के वित्तीय प्रयोजन को सुकर बनाने के लिए न्याय संगत बन्धक अधिनार सृजित कर,

विकासकर्ता(ओ) द्वारा यथानिर्णीत किसी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ संयुक्ता/त्रिपक्षीय अनुबन्ध (विकासकर्ताओं के साथ—साथ) निष्पादित करेगा।

परन्तु यह कि भूस्वामियों द्वारा ऐसा कोई कृत्य केवल इस अनुबन्ध में दिये गये उपबन्ध के अनुसार उक्त भूमि कीकुल विचारित मूल्य की प्राप्ति के पश्चात ही किया जायेगा।

अग्रेसर स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अपेक्षित सुरक्षा केवल इस परियोजना के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि तक ही सीमित रहेगी अन्य रुक्ता केवल विकासकर्ता द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित की जायेगी।

10.2) किसी वित्तीय संस्था से ऋण के लिए आवेदन करने से पूर्व विकासकर्ता ऋण की अपेक्षित घनराशि स्वामी को प्रकट करेगा।

10.3) इस परियोजना के लिए किसी वित्तीय सुविधा/ऋण के पुनर्मुग्दान के लिए विकासकर्ता पूर्ण रूप से दायी तथा उत्तरदायी होगा।

10.4) उक्त परियोजना में किसी इकाई/अपार्टमेंट का क्रय करने के लिए उसके/उनके आवासीय ऋण को स्वीकृत कराने में भावी क्रेता(ओ) को विकासकर्ता अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सुविधा उपलब्ध करा सकेगा (विकासकर्ता के पैनल में विद्यमान या भावी क्रेता द्वारा यथा निर्णीत किसी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ त्रिपक्षीय अनुबन्ध सहित)

11. यह कि विकासकर्ता परियोजना का विकास सहमत कार्ययोजनाओं के निवन्धनों और सम्बन्धित प्राधिकारियों के अनुमोदनों और स्वीकृतियों के अनुसार करेगा तथा उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। तथापि, परियोजना के सन्निर्माण वरण की दौरान विकासकर्ता द्वारा किसी कानून, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के कारण अधिरोपित किये जाने वाले वाले किसी दण्ड या वित्तीय अधिभार के लिए विकासकर्ता पूर्णतः दायी होगा और ऐसे किसी कृत्य या इस सम्बन्ध में अधिरोपित किसी अधिभार या जारित के लिए भूस्वामी उल्लंदायी नहीं होगा। विकासकर्ता अपने विवक से परियोजना को नाम दे सकेगा।

12. यह कि विकासकर्ता, आवश्यक अभिन्यास और योजनाओं के अनुमोदनों/स्वीकृतियों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अन्य सभी सम्बन्धित साविधिक तथा विधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के पश्चात यथा सम्बद्ध शीघ्र सम्पूर्ण परियोजना का विकास और सन्निर्माण पूर्ण करने के लिए सहमत है। भू-स्वामी(या)ने सर्वेक्षण के लिए और अनुज्ञा तथा योजनाओं की स्वीकृति की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करने के लिए इसे परियोजना में विकसित करने हेतु भूमि में बिना बाधा के पहुंचद दी है / द देगा।

13. यह कि भू-स्वामी और साथ ही साथ विकासकर्ता भावी क्रेताओं के पक्ष में साफ एवं भार मुक्त बाजारी स्वामित्व हस्तान्तरण करने का वचन देते हैं। इस प्रयोजन के

लिए मू—स्वामी और साथ ही साथ विकासकर्ता भावी क्रेताओं के पक्ष में समुक्त रूप से विक्रय/हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य है।

14. यह कि विज्ञापनों सहित सभी विक्रय वृद्धि गतिविधिया केवल विकासकर्ता द्वारा संचालित की जायेगी।

15. यह कि पलैटों/स्लॉटों/इकाइयों की सभी विक्रय प्रादियों को मू—सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम 2016 के अधीन यथा परिकल्पित पृथक बैंक खातों (अधिमानतः एक एस्क्रो खाता) में जमा किया जायेगा और उस बैंक खातों से मू—स्वामी(यों)का अंश (प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य के सापेक्ष) अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के अतिरिक्त इस अनुबन्ध के खण्ड 3 की शर्तों के अनुसार मू—स्वामी को अनुरित किया जायेगा।

16. यह कि सकाम प्राधिकारी से अनुमादित मानवित्र के आधार पर विकासकर्ता, विक्रय योग्य क्षेत्र फल की सीमा तक मापदण्डों और मूल्य, जिस पर विकासकर्ता बाजार में बुकिंग का शुभारम्भ कर रहे हैं, अनुसार भावी क्रेताओं को अपार्टमेन्ट/इकाइयों के आवटन का प्रस्ताव देगा तथा आवटन पत्र जारी करेगा। अपार्टमेन्ट/इकाइयों के भावी क्रेता को दिये जाने के लिए की जाने वाली सभी औपचारिकताएं और दस्तावेजोंकरण, विकासकर्ता द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

17. यह कि यदि इस अनुबन्ध की निरन्तरता के या सम्बन्धित की अवधि के दौरान यहाँ उल्लिखित कर्तव्यों के समुचित पालन और परियोजना के समुचित और तीव्र विकास के लिए मूस्वामियों की ओर से कोई सहायता, सहयोग या कोई विधिक अनुबन्ध अपेक्षित हो तो मू—स्वामी विकासकर्ता के अनुरोध पर, जब कभी अपेक्षित हो किन्तु केवल इस अनुबन्ध के शर्तों के भीतर सहायता, सहयोग, और अनुबन्ध करेगा।

18. यह कि कब्जा लेने के पश्चात् यदि लगी हुई भूमियों के पर्यासियों से या किसी अन्य विभाग या अन्यथा ऐसे कब्जे को सुरक्षित करने में कोई समस्या आती है तो उसे पूर्ण रूप से विकासकर्ता द्वारा व्यवहृत किया जायेगा क्योंकि विकासकर्ता द्वारा कब्जा, चौहड़ी तथा स्वामित्व, कब्जा और उक्त भूमि पर भूस्वामियों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भूस्वामियों के पक्ष में पूर्व में निष्पादित सभी सम्बन्धित दस्तावेजों के सावधानी पूर्वक अध्ययन के पश्चात् सभी सम्बन्धित कारकों के सम्बन्ध में स्वयं को सन्तुष्ट कर लिया गया था। तथापि यदि ऐसी समस्या या विवाद के किसी रूप पर मू—स्वामी(यों) की सहायता आवश्यक समझी जाय तो मू—स्वामी उसकी अपनी लागत और जोखिम पर सप्रवर्तक(को) को सहयोग करेगा।

19. यह कि मू—स्वामी एतद्वारा अभिवेदन एवं पुष्टि करता है तथा अग्रेतर यह बता देता है कि वह इस अनुबन्ध के जीवन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान भूस्वामियों के माम से उत्पन्न होने वाले भारी दावों और दातियों के विरुद्ध सप्रवर्तक(को)को दातिपूरित और हानिरहित करेगा और ऐसी घटना पर, ऐसी कमीक मू—स्वामी की

जानकारी में लाये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर भूस्वामी हानियों, क्षतियों, या किसी दावे या त्रुटि को ठीक करेगा।

20. यह कि विकासकर्ता एतद्वारा अभिवेदन एवं पुष्टि करता है तथा अग्रेतर यह वचन देता है कि वह भूस्वामियों को इस अनुबन्ध के जीवन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान विकासकर्ता(ओं) के भाग में उत्पन्न होने वाले भारी दावों और क्षतियों के विरुद्ध भूस्वामी(या)को क्षतिपूरित और हानिरहित करेगा और ऐसी घटना पर विकासकर्ता(ओं) की जानकारी में ऐसी त्रुटि के लाये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर विकासकर्ता हानियों या क्षतियों या किसी दावे या त्रुटि को ठीक करेगा।
21. यह कि इस सहयोग अनुबन्ध/ संयुक्त विकास अनुबन्ध/ किसी अन्य अनुबन्ध का निष्पादन होने पर विकासकर्ता आवश्यक सूचना पट्टी को लगाने का हकदार होगा।
22. यह कि इस अनुबन्ध में चूक न होने के दिन तक भूस्वामी परियोजना के सन्निमाण, विकास और समापन में हस्तक्षेप या अवरोध नहीं करेगा।
23. यह कि सन्निमित और विकसित की जाने वाली परियोजना और ईकाईयों में किसी प्रकार की त्रुटियों तथा साथ ही साथ परियोजना/ ईकाईयों के विकास और सन्निमाण में देरी के लिए विकासकर्ता पूर्ण रूप से दायी और उत्तरदायी होगा।
24. यह कि सक्षम प्राधिकारी से परियोजना के लिए समापन और /या अधिभोग प्रमाण पत्र विकासकर्ता/ मू—स्वामी द्वारा प्राप्त किया जायेगा और इस सम्बन्ध में होने वाला सभी व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
25. यह कि इसके पश्चात इसके पक्षकार इस अनुबन्ध की किन्हीं शर्तों को परिवर्तित, संशोधित, प्रतिरक्षापित या अधिभावित करना चाहे तो वे ऐसी शर्तों को इसके परिशिष्ट के रूप में अभिलिखित करेंगे, और ऐसी कोई शर्त पक्षकारों के मध्य तब तक वाध्यकारी नहीं होगी जब तक इसके प्रत्येक पक्ष द्वारा उन्हें लिखित में लाया और हस्ताक्षरित नहीं किया जाय।
26. यह कि पक्षकारों के मध्य आपसी सूचनाएं उनके पते पर पज्जीकृत डाक द्वारा दी जायेंगी।
27. यह कि अनिवार्य वाध्यता रिक्तियों के कारण यदि परियोजना या उसके किसी भाग के विकास/ सन्निमाण और उसके समापन में कोई विलम्ब होता है तो उस दशा में इस अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में दायित्व और/या भुगतान में समयवृद्धि अथवा/ और छूट इस हेतु उभय पक्षों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव 25 में वर्णित व्यवस्थानुसार आपसी लिखित सहमति से दी जा सकेगी। यदि परियोजना अथवा उसके किसी भाग का विकास और सन्निमाण पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं रह जाय तो उस दशा में उभय पक्ष आपसी लिखित सहमति से इस अनुबन्ध को रद्द कर सकेंगे। परन्तु इन दशाओं में परियोजना की ईकाईयों के ग्रेटोंओं/आवटियों के प्रति उनके द्वारा भुगतान की मई घनराशियों की

वापसी के सम्बन्ध में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विकासकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होगा।

28. यह कि इस अनुबन्ध या उसके किसी भाग से सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में इसे पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु पक्षकारों की असहमति पर उसकी नियुक्ति माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार न्यायालय के माध्यम से की जायेगी। मध्यस्थता, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या तत्समय प्रवृत्त किसी उपान्तरण या पुनर्धिनियम के अनुसार की जायेगी। मध्यस्थता का स्थान केवल देहरादून अथवा.....
.....(उत्तराखण्ड के किसी अन्य जिला मुख्यालय या परियोजना स्थल का नाम) होगा।

परिशिष्ट 'क'

भू-स्वामियों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि का विवरण

गांव / शहर परगना तहसील और जिला में
अवस्थित खसरा सख्ता के भाग के सभी भूमि क्रमशः वर्ग मीटर
जिसका कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर है एवं जिसकी चौहड़ी निम्नवत् है—
पूर्व में
पश्चिम में
उत्तर में
दक्षिण में
भू-स्वामी(यों) के नाम और पते

विकासकर्ता(ओं) के नाम और पते

इसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस अनुबन्ध में ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये—

भू-स्वामी

विकासकर्ता

साक्षी-1

साक्षी-2

आवेदन पत्र का प्रारूप

(विनियम ११ देखें)

भू-सम्पदा परियोजना में इकाई बुकिंग करने हेतु

(सम्पर्कक की ओर से भरा जाने वाला)

आवेदन फार्म सख्त्या:

दिनांक:

सम्पर्कक का नाम और पता:

परियोजना का नाम और उसका स्थान/पता:

(आवेदक द्वारा भरे जाने वाला)

मैं/हम आपकी उपरिलिखित परियोजना में श्रेणी/प्रकार की एक
आवासीय इकाई/भूखण्ड/वाणिज्यिक इकाई या स्थान/फ्लैट/घर/विला की बुकिंग के
लिए एतदद्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

एकल/प्रथम आवेदक:

नाम:

पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु

डाक का पता.....

फोन नं० मोबाइल नं० ई-मेल आईडी

पेन नं०

राष्ट्रीयता— निवासी या अप्रवासी

पोटी

हस्ताक्षर

दूसरा आवेदक

नाम:

पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु

डाक का पता.....

फोन नं० मोबाइल नं० ई-मेल आईडी

पेन नं०

राष्ट्रीयता— निवासी या अप्रवासी

पोटी

हस्ताक्षर

तीसरा आवेदक

नाम-

पुत्र या पत्नी या पुत्री श्री आयु

ठाक का पता:-

फोन नं० मोबाइल नं० ई-मेल आईडी.....

पैन नं०

राष्ट्रीयता— निवासी या अप्रवासी

पत्नी

पत्रांक

मे/हम एतद्वारा (सम्प्रवर्तक) के पक्ष में चैक/ड्राफ्ट सख्ता
दिनांक द्वारा आवेदित इकाई की बुकिंग के लिए टोकन धनराशि के रूप में
इकाई के विक्रय मूल्य के दो प्रतिशत के रूप में रु० तिथि का चैक चैक ड्राफ्ट
इसके साथ प्रस्तुत कर रहा है/ कर रहे हैं।

मे/हम इसके विवरण के साथ प्राथमिकता बाले रथल के लिए आवेदन कर
रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि

(दो प्रतियों में सम्प्रवर्तक द्वारा भरा जायेगा, एक प्रति सम्प्रवर्तक के प्रयोग के लिए और
दूसरी प्रति आवेदक के लिए)

श्री/ श्रीमती (आवेदक का नाम) का बुकिंग आवेदन
अनुमोदित/अनुमोदित नहीं किया जाता है। चैक/अनुमोदित इकाई का विवरण निम्नवत्
है—

सम्प्रवर्तक का नाम—

परियोजना का नाम—

परियोजना रथल का पता—

पात्र/ अधिक—

तर्फ—

ईकाई की श्रेणी / प्रकार—

ईकाई का कारपेट क्षेत्रफल / क्षेत्रफल—

प्राथमिकता स्थल अनुमोदित/अनुमोदित नहीं -

प्राथमिकता स्थल का विवरण-

प्राप्त बुकिंग राशियोंडी०डी०/चैक संख्या दिनांक के माध्यम से रु०.....
(रुपये..... मात्र)

रु० (अको मे) (शब्दों मे) बुकिंग घनराशि प्राप्त की गयी।

बुक की मई ईकाई का कुल विक्रय मूल्य—रु० (रुपये मात्र)

घटकवार मूल्य विवरण-

(रु० मे)

क्र०सं०	विवरण	दर (इकाई सहित)	कुल घनराशि
1	आधार विक्रय मूल्य		
2	मूमि का एक बार अनुपातिक पट्टा किराया (केवल पट्टा मूमि के मामले मे)		
3	प्राथमिकता स्थल अधिभार		
4	विद्युत और मीटर संयोजन अधिभार		
5	जल संयोजन अधिभार		
6	विद्युत बैंक जप अधिभार		
7	गैराज का मूल्य		
8	पार्किंग (आन्तरिक) का मूल्य		
9	अग्निशमन स्थापना अधिभार		
10	बाजामुक्ता अनुरक्षण सुरक्षा		
11	कलब सदस्यता अधिभार (एक मुश्त)		
12	अन्य अधिभार (विवरण दे)		
13	कुल योग		

दिनांक _____

सम्प्रवर्तक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान _____

के हस्ताक्षर

(टिप्पणी: बुकिंग आवेदक द्वारा स्वीकार/पुष्टि किये जाने और आवेदक तथा संप्रवर्तक दोनों
के द्वारा आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर करने के अध्यधीन हैं।)

लेखों के विवरण पर वार्षिक रिपोर्ट

बाटेल एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर लेखों के विवरण की वार्षिक रिपोर्ट (जो सम्प्रवर्तक की कम्पनी / फर्म का सार्वाधिक सम्पर्कीय है)

सेवा में

(सम्प्रवर्तक का नाम व पता)

विषय: मू. सम्पदा परियोजना (उत्तराखण्ड मूसंपदा नियमक प्राधिकरण की पञ्चीकरण संख्या) के सम्बन्ध में दिनांक से दिनांक तक की अवधि के लिए (सम्प्रवर्तक) द्वारा परियोजना निधि उपयोग और आहरण के लेखों के विवरण पर रिपोर्ट।

1. यह प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड मू. सम्पदा (विनियमन और विकास)(सामान्य) नियमावली, 2017 के साथ सहपठित मू. सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के उपलब्धों के अनुसार जारी किया गया है।
2. मैं/ हमने कम्पनी/ फर्म से हमारे सम्पर्कीय के दौरान सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो मेरी/ हमारी राय में इस प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।
3. मैं/ हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/ हमने को समाप्त होने वाली अवधि के लिए (सम्प्रवर्तक का नाम) की विहित पंजीकाओं पुस्तकों और दस्तावेजों तथा सम्बन्धित अगेलेखों का परीक्षण कर लिया है और एतद द्वारा नह प्रमाणित करते हैं कि
 - (ए) मैससे द्वारा स्थल पर अवस्थित (परियोजना का नाम) नामक परियोजना जिसका परियोजना रजिस्ट्रेशन संख्या है, का प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
 - (ब) इस परियोजना के लिए वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि रु0 है और अद्यतन कुल संग्रहीत धनराशि रु0 है।
 - (तीन) इस परियोजना के लिए वर्ष के दौरान आहरित धनराशि रु0 है और अद्यतन आहरित धनराशि रु0 है।
4. मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि (सम्प्रवर्तक का नाम) ने (परियोजना का नाम) के लिए संग्रहीत धनराशियों का केवल इसी परियोजना के लिए उपयोग किया है और कथित परियोजना कोविहित वैकल्पिक से आहरण परियोजना की पूर्णता के प्रतिशत के अनुसार किया गया है।

5. मैं/हम एतद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने संप्रवर्तक (संप्रवर्तक का नाम) द्वारा विकसित/सन्निभित की जा रही नामक परियोजना के लेखा का परीक्षण किया है और निम्नवत् प्रमाणित करते हैं-

आय

(1) अनुरक्षित ऋण के रूप में परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
(2) गैर-अनुरक्षित ऋण के रूप में परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
(3) सम्प्रवर्तक के निदेशकों/साझीदारों से परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
(4) अंशधारकों से परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
(5) क्रेताओं से परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
(6) अन्य स्रोतों से परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	रु0
दिनांक..... तक कुल प्राप्त धनराशि...	रु0.....

व्यय

(1)परियोजना कार्य पर व्यय धनराशि	रु0
(2)परियोजना के सापेक्ष जी.एस.टी. रु0 इत्यादि पर व्यय धनराशि
(3) परियोजना के लिए अन्य व्यय	रु0
(4)आरक्षित निधि में अन्तरित धनराशि	रु0
(5)संप्रवर्तक के खाते में अन्तरित धनराशि	रु0
..... तक कुल व्यय	रु0

दिनांक:

स्थान:

फोन नं.:

ई-मेल आईडी:

पता: (क) कार्यालय
(ख) निवास

सी0ए0 का नाम एवं हस्ताक्षर

(अनुज्ञाप्ति संख्या

समक्ष उत्तराखण्ड मू—सम्पदा नियामक प्राधिकरण

दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण/प्रतियो प्राप्त करने हेतु आवेदन में एतद द्वारा निमालिखित दस्तावेजों/अभिलेखों का निरीक्षण करने/प्रतियो प्राप्त करने की अनुमति हेतु आवेदन करता है। विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण/प्रतियो प्राप्त करने की अनुज्ञा वाहने वाले व्यक्ति का नाम व पता।
2. क्या वह मामले में पक्षकार है या वह किसी पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि है (आवश्यक विवरण दें)।
3. निरीक्षण किये जाने/प्रतियो अपेक्षित किये जा रहे पत्रजाती/दस्तावेजों का विवरण।
4. किये जाने वाले निरीक्षण की तारीख और अवधि।
5. मुग्हान किये जाने योग्य शुल्क की राशि (सम्बन्धित विनियमों के अनुसार) और मुग्हान की रीति।

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय उपयोग के लिए

दिनांक को निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गयी/अस्वीकृत।

दिनांक को दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियो दी गयी/अस्वीकृत।

प्राधिकरण का संविव/अधिकारी/नामिति

अनुलग्नक 12
प्रारूप क
(विनियम 44 देखें)
वधनवद्धता

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण

नाम: _____

घट: _____

मे (नाम) सदस्य, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण शपथपूर्वक पुष्टि और घोषणा करता है कि विनियम 44 में यथा उपबन्धित प्राधिकरण की बैठकों में विवारण हेतु आने वाले किसी मामले के रामबन्ध में जिसमें समे परिवार से सम्बन्धित के मामले सहित मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन सम्बन्धी लाभ या किसी मामले में अन्य हित हो, मै प्राधिकरण के किसी विचार विमर्श या निर्णय में प्रतिभाग नहीं करूगा।

हस्ताक्षर

[दाना]क

स्थान

नाम: _____

पद: _____

प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य या प्राधिकरण का अधिकारी/कर्मचारी और घारित पद या अन्य विशेषज्ञ (बाह्य) _____

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं गोपनीयता के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य से भिज्जा हूँ। मैं जानता हूँ कि प्राधिकरण में मेरी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सप्राप्त सूचना को प्रकट नहीं करने के लिए मैं बाध्य हूँ यदि सूचना गोपनीयता के लिए मार्ग के अध्याधीन है और मैं एतद्वारा यह बचन देता हूँ कि मैं किसी ऐसी गोपनीय सूचना को प्रकट नहीं करूँगा। मैं वेटकों के दौरान अथवा लिखित रूप में उपलब्ध की गई प्राधिकरण के अन्य सदस्यों अथवा अन्य विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त गोपनीय प्रकृति की राय का भी सम्मान करूँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वेटक में हुए विवार विमर्श के दौरान अथवा प्राधिकरण के अथवा अन्यथा अन्य सदस्यों या विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किसी राय या मत को कभी भी किसी को प्रकट या संसूचित नहीं करूँगा।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गयी सूचना सत्य एवं पूर्ण है।

इस्तीकार

दिनांक

स्थान

प्राधिकृत 14

(विनियम 50 देखें)

समक्ष उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण

शिकायत वाद संख्या..... /

मामले में

शिकायतकर्ता

वनाम

उत्तरदाता

प्राधिकृत किये जाने का प्रपत्र

मैं/हम _____ उपर्युक्त नाम के याची/उत्तरदाता एतद्वारा _____ को उक्त नामले में मेरे/हमारी आर से कार्रवाई, पैरवी करने और उपस्थित होने के लिए नामित नियुक्त और गठित करता हूँ/करते हैं।

साथी के रूप में मैंने/हमने दिनाक _____ को लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर कर दिया है।

शिकायतकर्ता/उत्तरदाता को नाम और हस्ताक्षर:

स्थान:

दिनाक:

पत्र व्यवहार के लिए पता:

मैं/हम उक्त प्राधिकार पत्र को रवीकार करता हूँ/करते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/ हस्ताक्षर

स्थान:

दिनाक:

पता: